

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति
(2020-2021)

17

सत्रहवीं लोक सभा

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)

[ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई]

सत्रहवां प्रतिवेदन



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सत्रहवां प्रतिवेदन
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति
(2020-2021)

(सत्रहवीं लोक सभा)

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)

[ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों
(2021-22) संबंधी तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-
कार्रवाई]

05.08.2021 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया

05.08.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
अगस्त, 2021/श्रावण, 1943

सीआरडी सं. 171

मूल्य: रुपये.....

© 2021 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और ----- द्वारा मुद्रित ।

विषय सूची

पृष्ठ सं.

समिति (2020-21) की संरचना	(ii)
प्राक्कथन	(iv)
अध्याय एक प्रतिवेदन	1
अध्याय दो सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	27
अध्याय तीन सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	68
अध्याय चार सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं	69
अध्याय पांच सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	84

परिशिष्ट

एक.	समिति की 03.08.21 को हुई 12वीं बैठक के कार्यवाही सारांश का उद्धरण	85
दो.	ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण	87

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

श्री प्रतापराव जाधव - सभापति

सदस्य
लोक सभा

2. श्री शिशिर कुमार अधिकारी
3. श्री सी. एन. अन्नादुरई
4. श्री ए.के.पी. चिनराज
5. श्री राजवीर दिलेर
6. श्री विजय कुमार दुबे
7. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
8. डॉ. मोहम्मद जावेद
9. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी
10. श्री नलीन कुमार कटील
11. श्री नरेन्द्र कुमार
12. श्री जनार्दन मिश्र
13. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र
14. श्री तालारी रंगैय्या
15. श्रीमती गीताबेन वी राठवा
16. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
17. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
18. श्री बृजभूषण शरण सिंह
19. श्री के. सुधाकरन
20. डॉ आलोक कुमार सुमन
21. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

22. रिक्त
23. श्री शमशेर सिंह दुलो
24. श्री इरण्ण कडाडि
25. डा. वानविरॉय खारलूखी
26. श्री सुजीत कुमार
27. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
28. रिक्त
29. श्री नारणभाई जे. राठवा
30. श्री राम शकल
31. श्री अजय प्रताप सिंह

सचिवालय

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| 1. श्री डी.आर. शेखर | - | संयुक्त सचिव |
| 2. श्री ए के शाह | - | निदेशक |
| 3. श्रीमती एम्मा सी. बरवा | - | अपर निदेशक |
| 4. श्री ईनाम अहमद | - | सहायक कार्यकारी अधिकारी |

प्राक्कथन

में, ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2020-2021) का सभापति समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) से संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

2. 13वां प्रतिवेदन 09.03.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों पर सरकार के उत्तर 14.06.2021 को प्राप्त हुए थे।

3. समिति ने 03.08.2021 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

4. समिति के 13वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है ।

नई दिल्ली;
03 अगस्त, 2021
12 श्रावण, 1943 (शक)

प्रतापराव जाधव
सभापति,
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

अध्याय-एक

प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का यह प्रतिवेदन ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों संबंधी उसके तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की- गई-कार्रवाई से संबंधित है।

2. तेरहवां प्रतिवेदन लोकसभा में दिनांक 09.03.2021 को प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में 27 टिप्पणियां/ सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की- गई- कार्रवाई संबंधी टिप्पण सरकार से प्राप्त हो गए हैं। इनकी जांच कर ली गई है और इन्हें निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:-

(एक) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :

क्रम सं. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

कुल: 22

अध्याय -दो

(दो) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिन पर सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती :

क्रम सं. शून्य

कुल: शून्य

अध्याय -तीन

(तीन) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है:

क्रम सं. 2, 4, 5, 17, 19

कुल: 05

अध्याय - चार

(चार) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिन पर सरकार से अंतिम उत्तरों की प्रतीक्षा है:

क्रम सं. शून्य

कुल: शून्य

अध्याय – पांच

4. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण समिति के समक्ष इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन माह के भीतर रख दिए जाएं।

5. अब समिति अपनी कतिपय उन टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर चर्चा करेगी जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है अथवा जिन पर गुणावगुण के आधार पर टिप्पणियाँ किए जाने की आवश्यकता है।

एक. पंचायत स्तर पर तकनीकी जनशक्ति का अभाव

सिफारिश (क्रम संख्या 2)

6. पंचायत स्तर पर तकनीकी जनशक्ति की कमी के संबंध में समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी :-

"जांच की प्रक्रिया के दौरान, समिति ने महसूस किया कि मनरेगा, पीएमजीएसवाई जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पंचायत स्तर पर तकनीकी श्रमशक्ति का अत्यधिक अभाव है जिससे कारण इन योजनाओं की प्रगति पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही नीतियां लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में भी विलंब होता है। अतः इस बात की आवश्यकता को समझते हुए कि निचले स्तर पर विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाया जाना चाहिए, समिति ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध करती है कि वह इस मामले की अत्यंत गंभीरतापूर्वक जांच करें तथा नोडल निकायों से भरसक समन्वय स्थापित कर आवश्यकता अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति करे ताकि नीतियों के कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी से बचा जा सके।"

7. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"मनरेगा:- महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, राज्य सरकार जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता और कार्यक्रम अधिकारियों को इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यथावश्यक कर्मचारी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी।

केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रत्येक पंचायत के लिए "कनिष्ठ तकनीकी सहायक" (जिन्हें पंचायत तकनीकी सहायक/तकनीकी सहायक भी कहा जाता है) नियुक्त करने के निदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने राज्यों की मांग के अनुसार "बेयर फुट टैक्नीशियन" (बीएफटी) प्रशिक्षित किए हैं। ऐसे बीएफटी सिविल कार्य संबंधी तकनीकी मामलों का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और वे कनिष्ठ अभियंताओं/जेटीए को उनके तकनीकी कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान कर रहे हैं। पंचायतों के लिए बीएफटी

उपलब्ध हैं।

तकनीकी सहायकों और बीएफटी सहित तकनीकी कार्मिकों को भुगतान की लागत राज्यों को रिलीज़ की जाने वाली निधियों के सामग्री घटक में शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य सरकार को यह निदेश दिया गया है कि महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत जिन राज्यों का वार्षिक व्यय 1000 करोड़ रुपए से अधिक है, उन राज्यों के मामले में मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ गठित किया जाए। जिन मामलों में व्यय 1000 करोड़ रुपए से कम है, उन मामलों में प्रकोष्ठ की अध्यक्षता अधीक्षण अभियंता रैंक के अधिकारी करेंगे। ऐसे पद पूर्णकालिक होंगे और उन्हें राज्य सरकार के अन्य तकनीकी विभागों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाएगा।

केंद्र सरकार ने निदेश दिया है कि उप-राज्य/डिविजन स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महात्मा गाँधी नरेगा योजना कार्यों के निष्पादन से संबंधित सभी इंजीनियरी कार्यकलापों के निरीक्षण की पूर्णकालिक जिम्मेदारी क्रमशः नियमित कार्यपालक इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, कनिष्ठ इंजीनियर को सौंपी गई हो।

फिलहाल, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर कुल 19,103 कनिष्ठ इंजीनियर/सहायक इंजीनियर और ग्राम पंचायत स्तर पर 45,010 तकनीकी सहायक/ग्राम पंचायत तकनीकी सहायक (कुल-64,113) कार्यरत हैं।

पीएमएवाई-जी:- प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क (एफएफआई) के अनुसार, हालांकि मकान का निर्माण लाभार्थी को करना है लेकिन राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थी को इस प्रक्रिया में अपेक्षित मार्गदर्शन प्राप्त हो और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी की जाए कि मकान का निर्माण कार्य संपन्न हो। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्यान्वयन, निगरानी और निर्माण कार्य की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन एकक (पीएमयू) की स्थापना करेंगे।

इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक मकान को ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता (ग्राम रोजगार सहायक, भारत निर्माण

स्वयंसेवी, एसएचजी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि या किसी अन्य ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता) को टैग किया जाना है, जिसका कार्य लाभार्थी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना और निर्माण कार्य में सहायता कराना है।

इन कार्मिकों के पारिश्रमिक के खर्च की पूर्ति इस योजना के प्रशासनिक व्यय से की जाती है। वर्ष 2016 में इस योजना की शुरुआत के समय इसकी प्रशासनिक निधि 4% थी, जिसे बाद में कम करके 2% कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप संगत स्तरों पर कार्मिकों की पूर्ण भर्ती करना कठिन हो गया है।

प्रशासनिक लागत को 2% से बढ़ाकर 4% करने का प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर क्षेत्रीय स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती करने में आसानी होगी।

पीएमजीएसवाई:- पीएमजीएसवाई कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कर रहे हैं। राज्य सरकारों के कार्यान्वयनकर्ता विभाग के ब्लॉक स्तरीय/सब-डिविजन स्तरीय अधिकारी पीएमजीएसवाई सड़कों का कार्यनिष्पादन करते हैं और जिला-स्तरीय/सर्कल स्तरीय अधिकारी इन सड़कों का पर्यवेक्षण करते हैं। पीएमजीएसवाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन इसी शासकीय व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन प्रणाली (क्यूसीबीएस) का विधिवत अनुपालन करते हुए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पुल और सड़क कार्यों की डीपीआर तैयार करने के लिए अर्हताप्राप्त परामर्शदाताओं से आउटसोर्सिंग के माध्यम से डीपीआर तैयार कराने की अनुमति दी है। राज्य सरकारों को सड़कों की गुणवत्ता और निर्माण कार्यकलापों की रफ्तार में सुधार करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन परामर्शदाता (पीआईसी) नियुक्त करने की अनुमति भी दी गई।

पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए पीआईसी स्तर और राज्य स्तर पर उपलब्ध कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा पूर्व-अधिकार-प्राप्त समिति और अधिकार-

प्राप्त समिति की बैठकों के दौरान और मासिक समीक्षा बैठकों में भी की जा रही है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने विभागीय अधिकारियों के स्थानांतरण या राज्य सरकारों के अन्य इंजीनियरी संगठनों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ब्लॉक स्तर/जिला स्तर पर सभी रिक्त पदों को भरें। इसके अतिरिक्त, राज्यों को राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) और राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्टों के राज्य स्तर पर विश्लेषण के लिए अर्हताप्राप्त कर्मिकों को आउटसोर्स करने की अनुमति भी दी गई है। कार्यों के निष्पादन की रफ्तार की निगरानी विभिन्न क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जाती है और एसक्यूएम एवं एनक्यूएम के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी भी की जाती है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत डीपीआर की तैयारी, कार्य प्रबंधन, ठेका प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन, पुलों के निर्माण और सड़क सुरक्षा इत्यादि से जुड़े विभिन्न अधिकारियों को सीआरआरआई, आईएचआई, एआईटीडी, आईआईटी, एनआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं और विभिन्न प्रतिष्ठित इंजीनियरी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। मुख्य अभियंताओं से लेकर कनिष्ठ अभियंताओं तक सभी श्रेणियों के अधिकारियों के लिए जिला स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर भी अनुभवी संकाय के माध्यम से आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों को भरने और सड़क एवं पुल कार्यों का दक्षतापूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्यान्वयन/निष्पादन करने के लिए पीएमजीएसवाई कार्यक्रम में शामिल कर्मचारियों का क्षमता विकास भी करने के निरंतर प्रयास राज्य सरकारों के माध्यम से कर रहा है।

डीएवाई-एनआरएलएम:- मार्च, 2021 तक, डीएवाई-एनआरएलएम का कार्यान्वयन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 6517 ब्लॉकों में किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में गरीबों की आजीविकाओं का संवर्धन करने के उद्देश्य से 69.08 लाख स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देकर 7.52 करोड़ ग्रामीण परिवारों के साथ आजीविका कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं। डीएवाई-एनआरएलएम में ग्राम स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए अनुभवी सामुदायिक व्यवसायी (प्रेक्टिसनर) को सामुदायिक संसाधन

व्यक्ति (सीआरपी) के रूप में तैनात करने की नीति अपनाई गई है। कुल 3.30 लाख सीआरपी अधिकांशतः एसएचजी संघ द्वारा तैनात किए गए हैं।

डीडीयू-जीकेवाई कौशल:- डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा नियुक्त की जाने वाली परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) से कराया जा रहा है। राज्यों में डीडीयू-जीकेवाई का कार्यान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)/राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) हैं। डीडीयू-जीकेवाई में पंचायत स्तर पर कार्मिकों की कोई आवश्यकता या प्रावधान नहीं है।

एनएसएपी:- एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत, नए लाभार्थियों के निर्धारण/सत्यापन/चयन/पंजीकरण और लाभार्थियों के डाटा के डिजिटलीकरण, पेंशनों और अन्य वित्तीय लाभों इत्यादि के डीबीटी भुगतान के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा और सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) कार्यकलापों के लिए भी प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता होती है। राज्य सरकारें इन सभी कार्यकलापों को ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मियों के माध्यम से करती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वर्ष के दौरान रिलीज़ की गई एनएसएपी निधियों के 3% का उपयोग एनएसएपी के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन को सरल एवं कारगर बनाने हेतु प्रशासनिक खर्चों के लिए करने की अनुमति है। इन प्रशासनिक निधियों का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों के नोडल अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है। राज्यों को इस विषय में पहले ही सूचित किया जा चुका है।

एसपीएमआरएम:- एसपीएमआरएम के अंतर्गत, मिशन के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार, क्लस्टर स्तर पर दो और जिला स्तर पर तीन व्यवसायियों को नियुक्त किया जाना होता है - जो क्लस्टर में शामिल पंचायतों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल, ऐसे 1328 अपेक्षित प्रोफेशनलों में से 302 को मंत्रालय द्वारा नियमित अनुवर्तन के बाद भर्ती किया गया है। नियमित अनुस्मारकों के बाद भी, 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जिले या क्लस्टर में किसी प्रोफेशनल को नियुक्त नहीं किया है।

2. इसीलिए, इस मिशन के अंतर्गत पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायता का प्रावधान चुनौती बना हुआ है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसी भर्ती के लिए पर्याप्त प्रशासनिक निधियों की अनुपलब्धता के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं।

3. इन तकनीकी सहायता रिक्तियों को भरने के लिए मंत्रालय ने तीन सूत्रीय कार्यसूची तैयार की है, जिसका ब्यौरा आगे दर्शाया गया है और इस मुद्दे को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

- i. आगामी 2 वित्तीय वर्षों के लिए अतिरिक्त प्रशासनिक बजट के रूप में 60 लाख रुपए/क्लस्टर का प्रावधान (समग्र बजट परिव्यय में किसी प्रकार की वृद्धि के बिना व्यय वित्त समिति के ज्ञापन में प्रस्तावित)। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिला और क्लस्टर स्तर पर शेष आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे।
- ii. नीति आयोग ने सिफारिश की है कि क्लस्टर में शामिल पंचायतों को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और गहन तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्लस्टर स्तर पर रूर्बन फेलो की तैनाती की जाए। मिशन के इनोवेशन फंड के माध्यम से यह कार्य करने का प्रस्ताव किया गया है।
- iii. राज्यों द्वारा नामांकन के माध्यम से मार्गदर्शक संस्थाओं (क्षेत्रीय आयोजना और आर्थिक विकास के क्षेत्र में भारत की अग्रणी विशेषज्ञ संस्थाओं) को शामिल किया जा रहा है (अब तक 28 प्रतिष्ठित संस्थान)। ये संस्थाएं स्थानिक आयोजना (स्पाशियल प्लानिंग) और मिशन से संबंधित अन्य कार्यकलापों के लिए पंचायतों और क्लस्टरों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएंगी।

8. ग्राम पंचायतों के स्तर पर आवश्यक अधिकारियों की संख्या में कमी का संज्ञान लेते हुए, जिसका कि जमीनी स्तर पर विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, समिति ने ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध किया था कि योजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब को रोकने के लिए नोडल निकायों के साथ समन्वय करते हुए पर्याप्त संख्या में शीघ्रतापूर्वक कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण विकास विभाग ने अपने उत्तर में प्रत्येक ग्रामीण विकास योजना में अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया और

प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया है। हालांकि उत्तर में प्राथमिक जोर इस बात पर दिया गया है कि योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन में सहायता और सहयोग के लिए अपेक्षित जनशक्ति/अधिकारियों की नियुक्ति में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसके साथ यह पीएमएवाई-जी में प्रशासनिक लागत की कमी(4% से घटाकर 2% किए जाने के कारण) से लेकर अन्य कारणों जैसे कि विशेष रूप से एसपीएमआरएम और पीएमजीएसवाई जैसी अन्य योजनाओं में रिक्तियों को भरने के लिए राज्यों की कम रुचि/ रुचि न होना का ब्यौरा भी देता है। संक्षेप में, यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी गई है।

समिति उत्तर का अच्छी तरह से अध्ययन के उपरांत यह महसूस करती है कि ग्रामीण विकास विभाग का कार्य केवल प्रत्येक केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए उपबंधों का उल्लेख करना और जमीनी स्तर पर योजनाओं का लागू करने का भार राज्य सरकारों पर डालकर स्वयं को जिम्मेदारियों से मुक्त करना नहीं हो सकता। ये केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और ग्रामीण जनता के कल्याण के निमित्त बनी ऐसी योजनाओं की सफलता के लिए इसमें शामिल प्रत्येक हितधारक की ओर से सम्पूर्ण प्रयास बहुत जरूरी हैं। इस प्रकार, यह आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण विकास विभाग और अधिक सशक्त उपाय करे जिससे कि राज्य सरकारों द्वारा संबंधित कार्रवाई की जाए और योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए रिक्तियों को शीघ्रता से भरा जाए। इसलिए, समिति ग्राम पंचायत स्तर पर अपेक्षित अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में अपनी सिफारिश दोहराती है और ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह करती है कि वह इस मुद्दे के समाधान के लिए अपने प्रयासों में कोई कसर न छोड़े।

दो. मनरेगा के तहत कुशल कामगार/सामग्री हेतु निर्धारित निधियों के 40 प्रतिशत हिस्से को समय पर जारी करना

सिफारिश (क्रम संख्या 4)

9. मनरेगा के तहत कुशल कामगार/सामग्री हेतु निर्धारित निधि के संबंधित हिस्से के संबंध में समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी :-

"पिछले वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करते हुए समिति कुशल तथा अर्ध कुशल कामगारों की मजदूरी तथा सामग्री के लिए निर्धारित धनराशि के 40 प्रतिशत भाग को जारी करने में हो रही देरी को नोट करती है। मनरेगा

भारत सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कल्याणोन्मुखी कार्यक्रम है जिसके माध्यम से काम करने के इच्छुक किंतु बेरोजगार ग्रामीणों को इस कार्यक्रम के तहत आजीविका प्राप्त कर अपना जीवन स्तर सुधारने का अवसर मिलता है। आर्थिक मंदी के दौर में विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग में वृद्धि हुई है। तथापि, मनरेगा के अंतर्गत कुशल/अर्ध कुशल कामगारों के लिए निधियां जारी करने में हो रहा असाधारण विलंब हतोत्साहित करने वाला है तथा योजना की अंतर्निहित भावना के अनुरूप नहीं है। यह नोट किया गया है कि इसी कारण से कुशल/अर्ध कुशल श्रमिक मनरेगा के तहत काम लेने में रुचि नहीं दिखाते जिसके कारण न केवल काम प्रभावित होता है बल्कि ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी प्रभावित होता है। अतः समिति का विचार है कि विभाग अपने दृष्टिकोण में उचित परिवर्तन लाए तथा यह सुनिश्चित करे कि उक्त धनराशि का 40 प्रतिशत हिस्सा समय पर जारी किया जाए ताकि मजदूरी का भुगतान समय पर किया जाए और कार्य भी समय पर पूरा हो जाए। इस प्रकार समिति विभाग से पुरजोर आग्रह करती है कि वह अपनी कमियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे तथा धनराशि को समय पर जारी करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए।"

10. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गाँधी नरेगा) मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की रिलीज़ निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और केंद्र सरकार काम की मांग को ध्यान में रखते हुए निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय "स्वीकृत श्रम बजट", प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की रफ्तार, यदि पिछले वर्ष की कोई देनदारियां लंबित हों तो उन देनदारियों, राज्यों द्वारा संगत दस्तावेजों की समय पर प्रस्तुति और समग्र निष्पादन के आधार पर समय-समय पर दो खेपों में निधियां रिलीज़ करता है, जिनमें से प्रत्येक खेप में एक या एक से अधिक किस्तें शामिल होती हैं।"

11. अनुदानों की मांगों की जांच पर चर्चा के दौरान, समिति ने मनरेगा के सुचारू कार्यान्वयन से जुड़ी एक प्रमुख शिकायत का संज्ञान लिया था जो कि इस योजना के लिए कुशल

कामगार/सामग्री निधि घटक का 40 प्रतिशत समय पर जारी न किया जाना है। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए समिति ने ग्रामीण विकास विभाग से इस मामले की ईमानदारी से जांच करने और समय पर धनराशि जारी करने की बात सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी। हालांकि, ग्रामीण विकास विभाग ने अपने उत्तर में केवल सैद्धांतिक व्यवस्था का उल्लेख किया है और समिति द्वारा विशेष रूप से उठाए गए मुद्दे पर यह पूरी तरह से मौन रहा है। समिति पाती है कि उत्तर में कोई सार नहीं है और इसके स्थान पर कहीं अधिक सटीक उत्तर की अपेक्षा थी। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि 40 प्रतिशत कुशल कामगार/सामग्री निधि घटक समय पर जारी न किए जाने से मनरेगा कार्यो को पूरा करने पर निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है और यह कामगारों के लिए हतोत्साहित करने वाला होता है। इस प्रकार, समिति एक बार फिर ग्रामीण विकास विभाग पर समय पर धन जारी न करने के मामले की जांच करने के लिए जोर डालती है और चाहती है कि वह समिति को उचित सूचना देते हुए इस योजना में शामिल राज्य/नोडल मशीनरी को साथ लेकर कुशल कामगार/सामग्री निधि घटक के 40 प्रतिशत हिस्से का समय पर जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करे।

III. मजदूरी में असमानताएं

सिफारिश (क्रम सं. 5)

12. मजदूरी में असमानता के संबंध में समिति ने निम्नवत सिफारिश की :-

"एक अन्य महत्वपूर्ण और बार-बार उठाया जाने वाला मुद्दा जिस पर समिति का ध्यान सदैव आकर्षित होता है वह है अलग-अलग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी की विद्यमान दरों में समानता न होना। यह अभी भी समझ से परे है कि यह कैसे संभव है कि एक योजना जिसके तहत काम करने के इच्छुक ग्रामीणों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दिए जाने का प्रावधान है, में मजदूरी के भुगतान हेतु पूरे देश में अलग-अलग

मानदंड हों। समिति ने यह भी नोट किया कि संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (घ) जिसमें राज्य को कुछ नीति निदेशक सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहा गया है, के अंतर्गत समान काम के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन का निर्देश दिया गया है। अतः इस निर्देश के तहत मनरेगा के अंतर्गत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मजदूरी दरें तय नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 39 के दृष्टिगत तथा मजदूरी में समानता लाने के लिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी असमानता के किया जाना चाहिए ताकि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा के तहत मजदूरी में समानता लाई जा सके। . "

13. ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जिसमें आजीविका सुरक्षा अर्थात नियमित रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ग्रामीण परिवारों को आजीविका का तात्कालिक विकल्प उपलब्ध कराया जाता है।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 योजना के लिए अधिनियम की धारा 6 में मजदूरी दर अधिदेशित है।

अधिनियम की धारा 6 निम्नानुसार है:

6. मजदूरी दर -(1) न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम, 1948 (1948 का 11) में किसी बात के होते हुए, भारत सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकती है:

परंतु यह भी कि अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मजदूरी दर विनिर्दिष्ट की जाए:

बशर्ते इस तरह की किसी अधिसूचना के तहत समय-समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर प्रति दिन साठ रुपए से कम नहीं होगी।

(2) किसी राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी दर निर्धारित किए जाने तक, न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कृषि मजदूरों हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को उस क्षेत्र के लिए लागू मजदूरी दर माना जाएगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) की धारा 6(1) के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को महंगाई की प्रतिपूर्ति करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में बदलाव के आधार पर प्रत्येक वर्ष मजदूरी दर में संशोधन करता है। चूंकि सीपीआई (एएल) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग होता है, इसलिए मजदूरी दर भी अलग-अलग होती है।

मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से लागू की जाती है।

इसके अलावा, इस अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुसार -पुरुषों और महिलाओं को समान मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं -

पैरा 17: राज्य सरकार, बिना किसी लिंग भेद के, मजदूरी को किए गए कार्य की मात्रा से जोड़ेगी और अलग-अलग तरह के कार्यों और अलग-अलग मौसमों के लिए समय और गति अध्ययनों के बाद निर्धारित की गई तथा आवधिक रूप से संशोधित की गई दरों की ग्रामीण अनुसूची के अनुसार इसका भुगतान किया जाएगा।

पैरा 18. महिलाओं, वृद्ध दिव्यांगजनों और कमजोरी लाने वाली बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए दर की अलग अनुसूची तैयार की जाएगी ताकि उत्पादक कार्य के माध्यम से उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके।

पैरा 19(क) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दरों की अनुसूची तैयार की जाएगी ताकि आठ घंटे, जिसमें एक घंटे का विश्राम शामिल है, काम करने वाले किसी वयस्क व्यक्ति को निर्धारित मजदूरी दर के बराबर मजदूरी मिल सके। "

14. समिति यह नोट करके निराश है कि मनरेगा के तहत विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरी में असमानता का मुद्दा आरंभ से ही है। समिति ने बार बार इस असमानता को इंगित किया है और ग्रामीण विकास विभाग से पुरजोर आग्रह किया है कि इस विसंगति का शीघ्र समाधान करें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी समिति ग्रामीण विकास विभाग से पुरजोर सिफारिश करती है कि मजदूरी में इस असमानता को दूर करे और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा लाभार्थियों को समान मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करे। समिति इस बात से अत्यधिक निराश है कि ग्रामीण विकास विभाग के उत्तर में एक बार फिर समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे को महत्व नहीं दिया गया है और इनके उत्तर में कुछ नया नहीं कहा गया है। उत्तर में मनरेगा की धारा 6(1) को उद्धृत किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि "भारत सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मजदूरी दर विनिर्दिष्ट

कर सकती है"। उत्तर में आगे यह बताया गया है कि "ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में बदलाव के आधार पर प्रत्येक वर्ष मजदूरी दर में संशोधन करता है। चूंकि सीपीआई (एएल) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग होता है, इसलिए मजदूरी दर भी अलग-अलग होती"। समिति अधिनियम की बारीकियों को भी नोट करती है और यह पाती है कि धारा 6 (1) अपने आप में ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी के अनुसमर्थन/संशोधन करने का पूर्ण नियंत्रण देती है। यह अधिनियम ग्रामीण विकास विभाग को विभिन्न राज्यों/केंद्रों में मात्र भिन्न-भिन्न सीपीआई-एएल के आधार पर असमानता को न्यायोचित ठहराने के लिए बाध्य नहीं करता है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में समान मुद्रास्फीति के लिए मजदूरी में संशोधन के मापदंडों को उपयुक्त रूप से बदला जा सकता है। अतः, समिति मजदूरी में असमानता को समाप्त करने की अपनी सिफारिश को पुरजोर दोहराते हुए ग्रामीण विकास विभाग से यह आग्रह करती है कि वे एक ऐसा तंत्र विकसित करें जिसके माध्यम से मनरेगा जैसी केंद्र प्रायोजित योजना की मजदूरी में संशोधन केवल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कारकों पर निर्भर न करे बल्कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूरे राष्ट्र के लिए समान रूप से गणना और संशोधन किया जाए।

IV. मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को दुर्घटना क्षतिपूर्ति

सिफारिश (क्रम सं. 8)

15. मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को दुर्घटना क्षतिपूर्ति के संबंध में समिति ने निम्नवत सिफारिश की :-

" समिति को जांच चर्चा के दौरान सर्पदंश जैसे कई कारणों से मनरेगा श्रमिकों की कार्य के दौरान कार्यस्थल पर ही मृत्यु की घटनाओं की जानकारी दी गई थी। मनरेगा श्रमिक जो प्रायः दुर्घटना के समय प्राथमिक चिकित्सकीय सहायता पाने में भी सक्षम नहीं होते हैं, के असामयिक निधन को करुणा भाव से देखने की आवश्यकता है। समिति यह महसूस करती है कि मनरेगा श्रमिकों को बीमा और अन्य दावाकृत सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी अनुमोदन और औपचारिकताएं पूरी कराने के लिए उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है। समाज के सीमांत वर्ग के व्यक्ति के कम से कम दुर्घटना दावों का निराकरण तो शीघ्र किया जा सकता है। अतः समिति ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा श्रमिकों के लिए नियत क्षतिपूर्ति के एकमुश्त भुगतान हेतु आसान व्यवस्था बनाने की सिफारिश करती है, ताकि उन्हें मुसीबत के समय कुछ सांत्वना मिल सके।"

16. ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया :-

" राज्यों के साथ आगे चर्चा करने और मनरेगा कामगारों के लिए एक निर्धारित मुआवजा राशि के अनुग्रह राशि भुगतान का आसान तंत्र विकसित करने के लिए समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है।"

17. मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को दुर्घटना क्षतिपूर्ति देने के मुद्दे पर समिति ने कार्यस्थल पर दुर्घटना के शिकार हुए मनरेगा मजदूरों की स्थिति को उजागर करते हुए ग्रामीण विकास विभाग से ऐसे लाभार्थियों को मुआवजे के तौर पर अनुग्रह राशि के रूप में एक निर्धारित राशि के भुगतान हेतु आसान व्यवस्था बनाने की सिफारिश की थी। ग्रामीण विकास विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि मनरेगा कामगारों के लिए एक निर्धारित मुआवजा राशि के रूप में अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु आसान तंत्र विकसित करने की समिति की सिफारिश पर राज्यों के साथ आगे चर्चा की जाएगी। समिति यह पाती है कि ग्रामीण विकास विभाग का दृष्टिकोण सकारात्मक और सही दिशा में है। तथापि समिति का अभी भी यह मानना है कि इस संबंध में यथाशीघ्र प्रविधि निर्धारित की जाए ताकि विचार-विमर्श और अन्य औपचारिकताओं के कारण यह मुद्दा ज्यादा समय तक पड़ा न रहे। अतः, समिति यह आशा करती है कि ग्रामीण विकास विभाग इस संबंध में समयबद्ध तरीके से अंतिम समाधान निकालेगा और साथ ही इस संबंध में समिति को अद्यतन जानकारी भी देता रहेगा।

V. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण तथा प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी के बीच समानता लाना

सिफारिश (क्रम सं. 15)

18. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण तथा प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी के बीच समानता लाने के संबंध में समिति ने निम्नवत सिफारिश की :-

"कई अवसरों पर समिति को प्रधान मंत्री आवास योजना तथा प्रधान मंत्री आवास (शहरी) के सहायक घटक के बीच भारी विषमता के तथ्य से अवगत कराया (ग्रामीण)योजना गया है। समिति इस महत्वपूर्ण पहलू पर दोनों योजनाओं के तहत दी जाने वाली सहायता की प्रकृति तथा मात्रा को नोट करती है। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में दिए गए प्रस्तुतिकरण का भी संज्ञान लेती है। दोनों आवास योजनाओं के तहत दर्शाए गए वित्त प्रावधानों के संबंध में सभी को ध्यान में रखते हुए समिति अभी तक भी इस साधारण प्रथम दृष्टया तथ्य को बता पाने में सक्षम नहीं है कि ग्रामीण परिवेश में बहुपक्षीय लॉजिस्टिक तथा बुनियादी ढाँचे की बाधाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा

सकता। यदि कोई ग्रामीण और शहरी लाभार्थी की क्रय शक्ति समानता की तुलना करता है तो यह स्पष्ट है कि जनसंख्या के किस क्षेत्र , को अधिक सहायता की आवश्यकता है। इस प्रकारसमिति का यह पुरजोर मानना है कि ग्रामीण ,विस्तृत विवरणों में जाए बगैर , पर दोनों आवासीय योजनाओं के बीच समानता लाई जाए तथा इसलिए और शहरी स्तरों जी के तहत इकाई सहायता -वह ग्रामीण विकास विभाग को जल्द से जल्द पीएमएवाई घटक में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास करने का आग्रह करती है।"

19. ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पक्के मकान के निर्माण के लिए (सामग्री ढोने की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए) लाभार्थियों को मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये (जो पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 70,000 रुपये थी) और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों तथा एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 1.30 लाख रुपये (जो पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 75,000 रुपये थी) की बढ़ी हुई इकाई सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के साथ तालमेल के माध्यम से अकुशल श्रम मजदूरी के 90/95 श्रम दिवस और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा योजना या वित्तपोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ तालमेल के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत इकाई सहायता में वृद्धि करने के लिए मंत्रालय द्वारा किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है। तथापि, ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के सुझाव के अनुसार इस प्रभाग के दिनांक 22.07-2020 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से शौचालय/आईएचएचएल के निर्माण के लिए सहायता राशि को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का अनुरोध किया गया है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मकान निर्माण का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होना अनिवार्य है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयू) शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) से संबंधित लोगों की आवास संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित चार घटकों के माध्यम से दिनांक 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है।

क्र.सं.	घटक	मकान का क्षेत्रफल	इकाई सहायता
1	इनसिटू स्लम पुनर्विकास	30 वर्ग मीटर	1 लाख
2	साझेदारी में किफायती आवास	30 वर्ग मीटर	1.50 लाख
3	ऋण आधारित सब्सिडी योजना	वार्षिक आय के आधार पर 30 वर्ग मीटर से लेकर 200 वर्ग मीटर तक	ऋण राशि पर 3 से 6.5% तक सब्सिडी
4	लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत मकान निर्माण	30 वर्ग मीटर	1.50 लाख

मंत्रालय अपने शहरी क्षेत्रों के बराबर लाभ प्रदान करने के लिए ग्रामीण आवास ब्याज सहायता योजना (आरएचआईएसएस) में संशोधन पर विचार कर रहा है।

20. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मौजूदा प्रति इकाई सहायता और पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत दी जा रही वित्तीय सहायता की राशि में अंतर को गंभीरता से नोट करते हुए समिति ने ग्रामीण विकास विभाग को शहरी और ग्रामीण स्तर की आवासीय योजनाओं के बीच कुछ समानता लाने और पीएमएवाई-जी के तहत इकाई सहायता को भी बढ़ाने की सिफारिश की। ग्रामीण विकास विभाग ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि फिलहाल मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-जी के अंतर्गत इकाई सहायता में वृद्धि करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, मंत्रालय ग्रामीण आवास ब्याज सहायता योजना (आरएचआईएसएस) में इसके शहरी समकक्ष के बराबर लाभ देने के लिए इसमें संशोधन करने पर विचार कर रहा है। समिति ग्रामीण विकास विभाग के उत्तर को पढ़ने के बाद समिति द्वारा पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मांगी गई प्रति इकाई सहायता में वृद्धि के संबंध में मंत्रालय के रवैये से संतुष्ट नहीं हैं। समिति का अभी भी यह मानना है कि मैदानी /पहाड़ी इलाकों में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 1.20 लाख रुपये/1.30 लाख रुपये की प्रति यूनिट सहायता की मौजूदा दरों में बढ़ती लागत और बुनियादी ढांचे संबंधी मुद्दों के अनुरूप वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है।

आगे, समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि मंत्रालय द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ मिलकर पीएमएवाई-जी के अंतर्गत बने घरों में शौचालयों/आईएचएचएल के निर्माण हेतु सहायता को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। समिति इस बात की भी सराहना करती है कि मंत्रालय ग्रामीण आवास ब्याज सहायता योजना (आरएचआईएसएस) में इसके शहरी समकक्ष के बराबर लाभ देने के लिए इसमें संशोधन करने पर विचार कर रहा है। संपूर्ण परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, समिति अभी भी ग्रामीण विकास

विभाग से यह अपेक्षा करती है कि वह पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्रति इकाई सहायता घटक में वृद्धि करने हेतु समीक्षा करे और शौचालयों के लिए संशोधित सहायता को 12000 रुपये से 20,000 रुपये करने के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ सहयोग में तेजी लाएं और साथ ही आरएचआईएसएस के संशोधन के लिए त्वरित आधार पर अपनी औपचारिकताएं भी पूरी करे। समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सिफारिश (क्रम सं . 17)

VI. प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कम निविदा देने का मुद्दा

21. प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कम निविदा देने के मुद्दे के संबंध में समिति ने निम्नवत सिफारिश की :-

गंभीर चिंता के साथ, समिति ने पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाओं के टेंडर प्राप्त करने के लिए बोली लगाने के चरण में ठेकेदारों के द्वारा छलकपट के व्यापक प्रचलित व्यवहार पर ध्यान दिया है जिसमें न्यूनतम बोली राशि से 25-30 प्रतिशत कम की बोली लगाकर ठेका लिया जाता है। दोषी अधिकारियों के साथ मिलकर अनैतिक ठेकेदारों द्वारा यह आपत्तिजनक रवैया पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ऐसे ठेकेदार जो शुरू में कम दरों पर बोली प्राप्त करते हैं, वे मुनाफाखोरी की आड़ में अपने मुनाफे के मार्जिन को बढ़ाने के लिए सड़कों की गुणवत्ता को और अधिक कम कर देते हैं। यह एक व्यापक आपराधिक रणनीति है जो योजना की प्रभावशीलता के लिए सही नहीं है। समिति का विचार है कि ग्रामीण विकास विभाग को कम से कम एक तंत्र तैयार करना चाहिए जिसके द्वारा बोली और वास्तविक बोली के बची के अंतर के बराबर राशि घटक की एक निश्चित मात्रा को सुरक्षा के रूप में अलग रखा जाए और उसे यह सुनिश्चित करने के बाद ही जारी किया जाए कि निर्मित सड़क गुणवत्ता मानकों को पूरा करती है। इसलिए, समिति ग्रामीण विकास विभाग से पुरजोर सिफारिश करती है कि वह पीएमजीएसवाई में गिरावट को रोकने के लिए सभी उपाय करने तथा सड़कों की गुणवत्ता आश्वासन के लिए सुरक्षा घटक को शामिल करने हेतु इसके प्रावधान की समीक्षा करे।

22. ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

उन मानक बोली दस्तावेज, कार्यक्रम दिशानिर्देशों, सामान्य वित्तीय नियमावली और सीवीसी दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य प्रदान किए जाते हैं, जो उन बोलीदाताओं को कार्य को आवंटित करने की अनुमति देते हैं जिनकी बोली का मूल्य सबसे कम पाया गया है।

एसबीडी और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

पीएमजीएसवाई दिशानिर्देश :

पैरा 11.1

परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने और तकनीकी स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात निष्पादन एजेंसी निविदाएं आमंत्रित करेगी। प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निविदा के लिए सुनिर्धारित प्रक्रिया का सभी परियोजनाओं के लिए पालन किया जाएगा। इस प्रकार एसटीए द्वारा छंटनी की गई और मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई सभी परियोजनाओं की निविदा दी जाएगी और एनआरआईडीए के पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य सभी निविदाओं के लिए एनआरआईडीए द्वारा निर्धारित मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) का पालन करेंगे।

पैरा 11.2

चूंकि पीएमजीएसवाई समय और गुणवत्ता पर अधिक जोर देती है, इसलिए राज्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और बोली क्षमता का वास्तविक आकलन करने के कदम उठाएंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी निविदा नोटिस को ओएमएमएस के अंतर्गत इंटरनेट पर डाला जाए। एसबीडी के प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए बोली क्षमता का केंद्रीय रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य एसआरआईडीए को प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में निविदाएं आमंत्रित करने और निर्णय लेने का अधिकार दे सकते हैं।

पैरा 11.3

निविदा और ठेका संबंधी प्रक्रिया और समयावधि मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के अनुसार होगी (कृपया पैरा 13.1 भी देखें)। राज्य हर समय ओएमएमएस निविदा मॉड्यूल को अद्यतन करेगा ताकि निविदा दस्तावेजों को डाउनलोड किया जा सके। इसमें शामिल किए गए ठेकों का विवरण भी तुरंत डाटाबेस में दर्ज किया जाएगा।

एसबीडी के प्रावधान :

पैरा 25: बोलियों की जांच और उत्तरदायित्व का निर्धारण

25.1: "बोलियों के भाग-I" के विस्तृत मूल्यांकन के दौरान, नियोक्ता यह निर्धारित करेगा कि प्रत्येक बोली (क) खंड 3 और 4 में परिभाषित पात्रता मानदंडों को पूरा करती है या नहीं; (ख) दस्तावेज पर समुचित रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं या नहीं; (ग) आवश्यक प्रतिभूतियों से युक्त; और (घ) बोली लगाने वाले दस्तावेजों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त रूप से जवाबदेह है या नहीं। "बोलियों के भाग-II" के विस्तृत मूल्यांकन के दौरान, बोली के उत्तरदायित्व को बोली

की शेष शर्तों के संबंध में अर्थात् मात्राओं के मूल्य बिल, तकनीकी विनिर्देशों और रेखाचित्रों के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

25.2 : एक पर्याप्त रूप से उत्तरदायी "वित्तीय बोली" वह होती है जो अभिकल्प में विपथन या आपत्ति रहित बोली दस्तावेजों के सभी नियमों, शर्तों और विनिर्देशों के अनुरूप होती है। अभिकल्प में विपथन या आपत्ति वह होती है (क) जो किसी भी तरह से कार्य के दायरे, गुणवत्ता या निष्पादन को प्रभावित करती है; (ख) जो किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से बोली दस्तावेजों के साथ असंगत, नियोक्ता के अधिकारों या ठेका के तहत बोलीदाता के दायित्वों को सीमित करता है; या (ग) जिनके सुधार से पर्याप्त रूप से उत्तरदायी बोलियां प्रस्तुत करने वाले अन्य बोलीदाताओं की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

25.3: यदि कोई बोली पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं है, तो इसे नियोक्ता द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इसे बाद में गैर-अनुरूप विपथन या आपत्ति में सुधार करके अथवा उन्हें हटाकर उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

बोलियों का मूल्यांकन और उनकी तुलना करना

पैरा 26.1: नियोक्ता केवल उन बोलियों का मूल्यांकन और तुलना करेगा जिन्हें आईटीबी के खंड 25 के अनुसार पर्याप्त रूप से उत्तरदायी होने के लिए निर्धारित किया गया है।

पैरा 26.2 : बोलियों के मूल्यांकन में, नियोक्ता आईटीबी के उप-खंड 21 के अनुसार प्रस्तावित किसी अन्य स्वीकार्य भिन्नता, अंतर या मूल्य संशोधनों के लिए उचित समायोजन के द्वारा बोली मूल्य में समायोजन करते हुए प्रत्येक बोली के लिए मूल्यांकित बोली मूल्य का निर्धारण करेगा।

पैरा 26.3: यदि सफल बोलीदाता की बोली ठेके के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्य की लागत इंजीनियर के अनुमान में अत्यधिक असंतुलित है, तो नियोक्ता बोलीदाता को उन मूल्यों की आंतरिक संगतता को दर्शाने के लिए मात्राओं के बिल की किसी भी या सभी मदों के लिए विस्तृत मूल्य विश्लेषण प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है। मूल्य विश्लेषण के मूल्यांकन के पश्चात, नियोक्ता यह अपेक्षा रख सकता है कि आईटीबी के खंड 30 में निर्धारित निष्पादन प्रतिभूति की राशि को सफल बोलीदाता के खर्च पर एक स्तर तक बढ़ाया जाए ताकि ठेके के अंतर्गत सफल बोलीदाता की चूक की स्थिति में नियोक्ता को वित्तीय हानि से बचाया जा सके। निष्पादन प्रतिभूति की बढ़ी हुई राशि नियोक्ता के विवेकाधिकार से तय की जाएगी, जो बोलीदाता के लिए अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक होगी।

ठेका प्रदान करने के मानदंड :

पैरा 27.1: आईटीबी के खंड 30 के अध्यक्षीन, नियोक्ता उस बोलीदाता को ठेका प्रदान करेगा जिसकी बोली निर्धारित की गई है: (i) बोली दस्तावेजों के लिए काफी अधिक उत्तरदायी हो और जिसने सबसे कम मूल्यांकन बोली मूल्य की पेशकश की है, बशर्ते कि ऐसे बोलीदाता को (क) आईटीबी के खंड 3 के उपबंधों के अनुसार पात्र होना निर्धारित किया गया हो, और (ख) आईटीबी के खंड 4 के उपबंधों के अनुसार योग्य हो; और (ii) उसके बोली मूल्य के हिसाब से समायोजित उपलब्ध बोली क्षमता के भीतर होना चाहिए जिसका मूल्यांकन विचाराधीन पहले खोले गए किसी भी पैकेज में सबसे कम के रूप में किया गया हो।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) और कार्यक्रम दिशानिर्देश अनुमानित मूल्य से कम राशि की बोली लगाने का उद्धृत करने को निषेध नहीं करते हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी हित की रक्षा की जाए, इसके लिए मानक बोली दस्तावेज में यह निर्धारित किया गया है कि *यदि सफल बोलीदाता की बोली ठेके के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्य की लागत इंजीनियर के अनुमान में अत्यधिक असंतुलित है, तो नियोक्ता बोलीदाता को उन मूल्यों की आंतरिक संगतता को दर्शाने के लिए मात्राओं के बिल की किसी भी या सभी मदों के लिए विस्तृत मूल्य विश्लेषण प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है। मूल्य विश्लेषण के मूल्यांकन के पश्चात, नियोक्ता यह अपेक्षा रख सकता है कि आईटीबी के खंड 30 में निर्धारित निष्पादन सुरक्षा की राशि को सफल बोलीदाता के व्यय से एक स्तर तक बढ़ाया जाए ताकि ठेके के अंतर्गत सफल बोलीदाता की चूक की स्थिति में नियोक्ता को वित्तीय हानि से बचाया जा सके। निष्पादन सुरक्षा की बढ़ी हुई राशि नियोक्ता के विवेकाधिकार से तय की जाएगी, जो बोलीदाता के लिए अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक होगी।*

निविदा/खरीद की प्रक्रिया राज्यों द्वारा की जाती है। यदि प्राप्त बोलियां एक निश्चित सीमा से नीचे हैं तो राज्यों को बढ़ी हुई निष्पादन गारंटी मांगने का प्रावधान करना होगा। इसके अतिरिक्त यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह 5 साल की अवधि तक सड़क का रखरखाव करे। मंत्रालय रखरखाव कार्यों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली (ई-मार्ग) लागू कर रहा है, जिसमें सभी भुगतान इस प्रणाली के माध्यम से किए जाने हैं। इससे दोष सुधार दायित्व अवधि के दौरान रखरखाव कार्य में और सुधार होगा।

ठेकेदार द्वारा सड़क की खराब गुणवत्ता के निर्माण के मुद्दे से निपटने के लिए पीआईयू स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र पहले से ही मौजूद है। इसके अतिरिक्त एनआरआईडीए के मानक बोली दस्तावेज में ऐसे ठेकेदार

जो बोली दस्तावेज में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार काम को पूरा नहीं करते हैं, को ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान है।

23. पीएमजीएसवाई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग इसके नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, समिति चाहती थी कि पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही बेईमानी और कदाचार को तेजी से सामने लाया जाए और यह सिफारिश की थी कि ग्रामीण विकास विभाग सुरक्षा घटक की समीक्षा और उसे शामिल करते हुए जमीनी स्तर पर योजनाओं के निष्पादन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर लगाम लगाए। हालाँकि, समिति ग्रामीण विकास विभाग की प्रतिक्रिया से हैरान है। एक विस्तृत उत्तर में, विभाग ने एक ओर केवल पीएमजीएसवाई और मानक बोली दस्तावेज के दिशा-निर्देशों/प्रावधानों का उल्लेख कर दिया है और दूसरी ओर प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए राज्य सरकार पर सारी जिम्मेदारी डाल दी है। समिति ने कभी भी 'सैद्धांतिक' प्रावधान और दिशा-निर्देशों पर सवाल नहीं उठाया था और न ही समिति का इरादा पहले ही अच्छी तरह से प्रलेखित तंत्र में कोई कमी निकालना था। समिति ने पीएमजीएसवाई/एसबीडी के प्रावधान के अक्षरशः पालन के संबंध में जमीनी वास्तविकता और उसके कार्यान्वयन के व्यावहारिक पहलू का संज्ञान लिया था। इसके अलावा, निविदा प्रक्रिया के संबंध में कमियों को इंगित करना 'समय की मांग' है जिस पर हमेशा राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जा सकता है। इस संबंध में, समिति टिप्पणी करती है कि अपनी भूमिका सही से न निभाने या केवल नीति निर्माण तक सीमित रखने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। अतः, समिति पुरजोर तरीके से अपनी इस सिफारिश को दोहराती है कि पीएमजीएसवाई की निविदा प्रक्रियाओं में कदाचार को रोका जाए और आग्रह करती है कि ग्रामीण विकास विभाग जमीनी स्तर पर उचित समाधान के लिए सभी हितधारकों को एक साथ ले कर आए।

सिफारिश (क्रम सं. 19)

सात. पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता और निर्माण के पश्चात सड़कों का रख-रखाव

24. पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता और सड़कों के रखरखाव के मुद्दे के संबंध में समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थी:-

किसी भी कल्याणोन्मुखी योजना की सफलता निचले स्तर पर उसके क्रियान्वयन के परिणाम पर निर्भर करती है न कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। समिति इस भावना को पूर्णतः महसूस करती है लेकिन इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त

करती है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यनिष्पादन अच्छा नहीं रहा। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर सड़कों का निर्माण निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं हुआ है और निर्माण कार्य तथा माल की गुणवत्ता में कमी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनी सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है और ये सड़कें पांच वर्ष की वारंटी की अवधि तक अच्छी स्थिति में नहीं रह पाएंगी। समिति नोट करती है कि आरंभ में निर्माण की गुणवत्ता और बाद के रख-रखाव संबंधी दो अलग-अलग मुद्दे सामने आए और दोनों का कड़ाई से विनियमन किए जाने की आवश्यकता है। इस परिदृश्य में समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएमजीएसवाई के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित गुणवत्ता संबंधी मानकों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और बनाई गई सड़कें मजबूत हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास विभाग से अपेक्षा की जाती है कि नोडल एजेंसियों के साथ उपयुक्त समन्वय करे और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनाई गई सड़कों के रख-रखाव की उपयुक्त अपेक्षित निगरानी करे।

25. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा कम से कम 10 वर्षों के डिजाइन लाइफ के साथ किया जाता है। पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मानक बोली दस्तावेज के अनुसार, सभी पीएमजीएसवाई सड़क कार्यों को उसी ठेकेदार जिसे सड़क निर्माण का ठेका दिया गया है, को दी जाने वाली संविदा में प्रारंभिक पांच वर्ष की रखरखाव संविदाओं को शामिल किया जाता है। संविदा को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बजट में रखरखाव निधि प्रदान करने की आवश्यकता होती है और ये एक अलग रखरखाव खाते में राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के नियंत्रण में रखी जाती है। निर्माण के 5 वर्ष की समाप्ति पर, पीएमजीएसवाई सड़कों को समय-समय पर चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 वर्ष के रखरखाव की क्षेत्रीय रखरखाव संविदाओं के तहत रखा जाना आवश्यक है।

दोष सुधार दायित्व अवधि (सड़क कार्य पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष) के दौरान सड़कों के रखरखाव पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के उपाय के रूप में और पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव की सुपुर्दगी को सुव्यवस्थित करने के लिए, सभी राज्यों में ई-मार्ग लागू किया गया है। ई-मार्ग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग सभी राज्यों द्वारा किया जाता है, जो पीएमजीएसवाई के कार्यों के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष तक रखरखाव और सड़कों के अच्छी स्थिति में रखरखाव को सुनिश्चित करता है। पूरे किए गए कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक सार्वभौमिक प्रणाली सुनिश्चित करते हुए, सभी राज्यों में ई-मार्ग लागू

किया गया है। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में पीआईयू की जवाबदेही बढ़ाने के लिए गुणवत्ता निगरानी की प्रणाली और प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार किया जाता है।

ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की निगरानी के लिए, पीएमजीएसवाई III के दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित/अपग्रेड की गई सड़कों के रखरखाव के लिए प्रारंभ में पांच वर्षों के नियमित रखरखाव के लिए और आवश्यकता के अनुसार आवधिक नवीनीकरण सहित अगले पांच वर्ष के नियमित रखरखाव के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने हेतु संबंधित राज्य में पीएमजीएसवाई III प्रारंभ करने से पहले राज्यों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

पीएमजीएसवाई के तहत डीएलपी और डीएलपी पश्चात सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पीआरसी बैठक, ईसी और पूर्व ईसी बैठकों, मासिक समीक्षा और अन्य बैठकों के दौरान, यह नियमित रखरखाव, लंबाई नवीनीकरण और किए गए व्यय के मामले में राज्यों के साथ समीक्षा का केंद्र बिंदु बन गया है।

एनआरआईडीए ने आईएलओ के सहयोग से ग्रामीण सड़कों की रखरखाव नीति के विकास के लिए एक नीतिगत रूपरेखा तैयार की है। राज्यों के लिए एक मार्गदर्शन नोट के साथ नीतिगत रूपरेखा को राज्यों के साथ साझा किया गया है क्योंकि ग्रामीण सड़क रखरखाव नीति को राज्य स्तर पर अपनाने और अधिसूचित करने की आवश्यकता है। नीति और मार्गदर्शन नोट राज्यों की सड़क एजेंसियों को ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की अपेक्षाओं और ग्रामीण सड़कों के सृजित नेटवर्क को बनाए रखने की राज्यों की इच्छा के विषय में स्पष्ट समझ रखने में सहायक होगा। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ग्रामीण सड़क रखरखाव नीति अधिसूचित की है। तथापि, यह देखा गया है कि राज्य सरकारें अपने बजट में पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं कर रही हैं और परिणामस्वरूप, जनता के धन के भारी निवेश से बनी सड़कें उचित रखरखाव के अभाव में खराब हो जाती हैं और इन्हें प्रतिस्थापित करने/पुनः सड़क बनाने की आवश्यकता होती है और इस पर बड़ी भारी लागत आती है।

अप्रैल 2015 से 60:40 और 90:10 के निधि साझाकरण तंत्र की शुरुआत से राज्यों पर बोझ बढ़ गया है। इसके अलावा, राज्य रखरखाव की पूरी लागत, उपयोगिता स्थानान्तरण और वन मंजूरी की लागत भी वहन कर रहे हैं। प्रस्ताव में उल्लिखित व्यय के अलावा, यदि कोई हो,

लागत में वृद्धि भी संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के बजटीय संसाधनों से वहन की जाती है। इसके अलावा, पीएमजीएसवाई के तहत और अधिक सड़कों के निर्माण और पहले से निर्मित सड़कों की डीएलपी के पूरा होने से राज्यों पर रखरखाव की जिम्मेदारी बढ़ रही है।

राज्यों पर निर्माण और रखरखाव के बढ़ते दायित्व के कारण, राज्य सरकारें अपने बजट में पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं कर पा रही हैं।

आज तक 4,123.13 करोड़ रूपए (वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, जिन्होंने उन्हें आवंटित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त किया है) को वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में जारी किए गए हैं। ये निधियां विशेष रूप से पीएमजीएसवाई के तहत पहले से निर्मित सड़कों के आवधिक रखरखाव के लिए हैं।

गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, क्षेत्र में कोविड स्थिति के कारण, 15,000 एनक्यूएम निरीक्षण और 85,000 एसक्यूएम निरीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- पूर्व में पूरी की गई सड़क की लंबाई की तुलना में प्रत्येक 5 किमी के खंड पर एसक्यूएम निरीक्षण किया जा रहा है।
- 49 नए एनक्यूएम को पैनल में शामिल किया गया है और एनक्यूएम की संख्या और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- पुलों के निरीक्षण के लिए विशिष्ट एनक्यूएम और एसक्यूएम को प्रतिनियुक्त किया जाता है।
- किसी भी भुगतान से पहले क्षेत्रीय प्रयोगशाला के लिए जियो-टैग की गई तस्वीरों को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का भुगतान कोर जांच परिणामों के सत्यापन के बाद ही किया जाता है।
- एसक्यूएम को पैनल में शामिल करने और प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

26. जब से पीएमजीएसवाई के माध्यम से गांवों को जोड़ने की योजना की परिकल्पना की गई है, तब से पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों का उचित रखरखाव चिंता का एक महत्वपूर्ण

क्षेत्र रहा है। हालाँकि, विभिन्न कारणों से, आज तक इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए, समिति ने सिफारिश की थी कि ग्रामीण विकास विभाग पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए नोडल एजेंसियों के साथ उचित समन्वय करे और अपेक्षित निगरानी करे। समिति अब इस संदर्भ में ग्रामीण विकास विभाग के उत्तर का अध्ययन कर चुकी और समिति ने इसमें उठाए गए कुछ उल्लेखनीय मुद्दे पाए हैं, जिसमें मुख्य मुद्दा पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त बजट प्रावधान न होना और अप्रैल, 2015 से निधि साझाकरण तंत्र में 90:10 से 60:40 का परिवर्तन होने के बाद से राज्यों पर बढ़ा हुआ वित्तीय दबाव है। समिति पाती है कि ऐसे तर्कों से संपूर्ण मुद्दे के समाधान में बाधा उत्पन्न होती है जिसमें कोई चाहते हुए भी समाधान के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि इन समस्याओं के समाधान का कोई उपाय नहीं है। बाधाएं तो हैं, लेकिन इस तरह की बाधाओं के कारण योजना को कमजोर नहीं होने दिया जा सकता है। प्रशासनिक और वित्तीय जाल की इस खींचतान के बीच कुछ रास्ता निकाले जाने की जरूरत है। ग्रामीण विकास विभाग से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह मात्र कारणों का उल्लेख करे और ऐसे मुद्दों के समाधान का प्रयास न करे, अपितु उसे इन मौजूदा समस्याओं के ठोस समाधान के साथ आगे आना चाहिए। चाहे राज्य सरकारों के साथ लगातार विचार-विमर्श करना हो, वित्त मंत्रालय से अधिक निधि आवंटन की मांग करनी हो या उनके मानदंडों/दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करना हो, आज की आवश्यकता है कि इन बाधाओं को दूर करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ा जाए। इस तरह की अनिश्चित स्थिति को देखते हुए, समिति अत्यंत चिंता के साथ अपनी सिफारिशों को दोहराते हुए ग्रामीण विकास विभाग पर जोर देती है कि वह पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के रखरखाव के मुद्दे का अत्यंत शीघ्रता और कुशलता से निपटारा करे ताकि पीएमजीएसवाई के तहत एक मजबूत ग्रामीण कनेक्टिविटी का संपूर्ण विजन विफल न हो।

आठ. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

सिफारिश (क्रम सं. 21)

27. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के संबंध में समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थी:

"समिति समाज के गरीब और वंचित वर्ग तक पहुंच बनाने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जैसी बड़ी योजना को तर्कसंगत मानती है। समिति नोट करती है कि इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों जैसे लाभार्थियों तक पहुंच बनाना है और समिति का यह दृढ़ मत है कि इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम समाज के

ऐसे वर्गों के लिए वरदान होते हैं। तथापि, समिति इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करती है कि इस योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत मात्र 200 रुपये से 500 रुपये तक की राशि सहायता के रूप में दी जाती है। समिति ने अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2019-20 और 2020-21) संबंधी अपने पहले एवं चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में सिफारिश संख्या 16 और 19 के माध्यम से इस प्रकार की सिफारिश पहले भी की थी। तथापि, समिति इस बात पर निराशा व्यक्त करती है कि अभी तक इस संबंध में कोई उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई। समिति इस मुद्दे को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गंभीरता से न लिए जाने की बात का समर्थन नहीं करती है। इस लापरवाहीपूर्ण रवैये को देखते हुए समिति एक बार फिर पुरजोर सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग गंभीरता से इस मुद्दे पर पुनः विचार करे तथा एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि में वृद्धि संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाए।"

28. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

"विभाग एनएसएपी के तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन अध्ययन को शीघ्र पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। मूल्यांकन अध्ययन करने वाली एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट की जांच के बाद, विभाग अध्ययन के परिणाम पर अंतिम निर्णय लेने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के परामर्श से पेंशन/सहायता की राशि में वृद्धि के संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू कर सकता है।"

29. समिति ने गहन चिंतन के साथ यह सिफारिश की थी कि ग्रामीण विकास विभाग इस कार्यक्रम के लाभार्थियों के कल्याण के लिए एनएसएपी के तहत पेंशन की सहायता राशि बढ़ाए। समिति लंबे समय से इस मुद्दे पर विचार कर रही है और इसकी प्रगति पर नजर रख रही है। वर्तमान मामले में, ग्रामीण विकास विभाग का उत्तर एनएसएपी के तृतीय पक्ष की मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में स्पष्ट करता है और यह कि पेंशन/सहायता की राशि में वृद्धि के संबंध में आगे की कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के परामर्श से की जाएगी। समिति ग्रामीण विकास विभाग के प्रयासों का स्वागत करती है और इस संबंध में सकारात्मक पहल की सराहना करती है। हालांकि, ऐसा अनुभव रहा है कि इस तरह के परामर्श लंबे समय तक चलते रहते हैं और लंबी अवधि तक निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाते हैं, कभी-कभी, लाभार्थियों के लिए वांछित उद्देश्य के फलीभूत होने की प्रतीक्षा करना असहनीय हो जाता है। इस प्रकार, समिति इस बात को पुरजोर तरीके से दोहराती है कि ग्रामीण विकास विभाग सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अपनी गति बढ़ाए और एनएसएपी के तहत पेंशन/सहायता घटक की वृद्धि के संबंध में तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचे ताकि लाभार्थियों को लाभ मिलना शुरू हो। समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

अध्याय - दो

सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश (क्रम सं.1)

समिति यह नोट कर निराश है कि ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत कुल 40,293.94 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है जो ग्रामीण विकास विभाग को निधियों के आवंटन की तुलना में उपयोग की दृष्टि से उचित नहीं है। देश में व्याप्त कोविड महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में समिति पाती है कि ग्रामीण विकास विभाग के लिए यह अनिवार्य है कि वह अप्रयुक्त शेष के शीघ्र परिसमापन हेतु प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ करे जिससे न केवल उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा बल्कि यह उनके तुलन पत्र को और अधिक स्पष्ट भी बनाएगा। अतः समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग अपने तंत्र को और अधिक गतिशील बनाए ताकि सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु बनाई जा रही योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावशाली रूप से हो सकें।

सरकार का उत्तर

अप्रयुक्त शेष को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए, यह विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। इस विषय में राज्यों के पास निधियों की उपलब्धता तथा शेष निधियों में से राज्यों द्वारा किए गए व्यय की निरंतर जाँच यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाती है कि आगे और निधियां उन्हीं राज्यों को रिलीज़ की जाएं, जिनके पास व्यय योजना मौजूद है। निधियां स्वीकृत करते समय, पिछली रिलीज़ों के अप्रयुक्त शेष को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रयोजनार्थ, विभाग के कार्यक्रम प्रभाग प्रत्येक रिलीज़ से पहले प्राप्तकर्ताओं के बैंक खाते में मौजूद धनराशि की जानकारी प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल की सहायता भी लेते हैं। यह विभाग केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए पीएफएमएस पोर्टल के उपयोग के विषय में समय-समय पर जारी किए जाने वाले व्यय विभाग के अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन करता है। सभी भुगतानों के संबंध में रिलीज़ों के लिए 'सही समय पर', के सिद्धांतों का यथासंभव अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। किसी भी समय रोकड़ शेष 3 महीने के लिए यथावश्यक निधियों से अधिक न हो और वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार

निधियां रिलीज़ करने, जैसे मुख्य सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है। व्यय विभाग द्वारा मार्च, 2021 माह में जारी किए गए नए दिशानिर्देशों में 'सही समय पर रिलीज़' के सिद्धांत, वर्ष के दौरान चार किस्तों में रिलीज़ों और सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा पीएफएमएस पोर्टल के दक्षतापूर्ण एवं समुचित उपयोग का अनुपालन करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध फ्लोट को कम करने की आवश्यकता पर और अधिक जोर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, व्यय की प्रगति की समीक्षा करने और निधियों के निरंतर प्रवाह तथा व्यय के प्रवाह में किसी रुकावट के समाधान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वित्त समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में राज्यों के साथ निष्पादन समीक्षा बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, जिनमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव भाग ले रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजनाओं के कार्य-निष्पादन, प्रगति और अप्रयुक्त सेष की समाप्ति की निगरानी करने के लिए नियमित आधार पर वीडियो सम्मेलन, समीक्षा बैठकें, नियमित अनुवर्तन इत्यादि किए जा रहे हैं।

(डीओआरडी का. जा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक:14/06/21)

सिफारिश (क्रम संख्या 3)

समिति नोट करती है कि ग्राम पंचायतों को सरपंत स्तर पर धनराशि के आवंटन का विद्यमान प्रावधान सरकारी धन को केवल कुछ हाथों में ही केंद्रित कर देता है जो अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकारी धनराशि का हेरफेर बड़ी चालाकी से अपने हितों के लिए करते हैं। यह एक ऐसी समस्या बनती जा रही है जिसने उस प्रयोजन को ही समाप्त कर दिया है जिसके लिए धनराशि के उपयोग का अधिकार सरकारी अधिकारियों जैसे ताल्लुका विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, डीआरडी निदेशक या समान पदों पर कार्यरत अन्य अधिकारियों के स्थान पर निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को सौंपा गया था। यह जानकर कि निचले स्तर पर बेईमान लोगों की आपसी सांठ-गांठ ही इस समस्या की जड़ है, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास इस समस्या का समाधान करे या धनराशि के विद्यमान परिस्रवण को रोकने के लिए गहन समीक्षा करे ताकि धनराशि का दुरुपयोग रोका जा सके।

सरकार का उत्तर

मनरेगा:- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की रिलीज़ निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और केंद्र सरकार महात्मा गाँधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय “स्वीकृत” श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देनदारियों और समग्र निष्पादन को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर दो खेपों में निधियां रिलीज़ करता है, जिनमें से प्रत्येक खेप में एक या एक से अधिक किस्में शामिल होती हैं।

इस योजना के लिए निधियां महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 22 में अधिदेशित वित्तपोषण पद्धतियों के अनुसार मजदूरी के भुगतान, सामग्री के भुगतान और प्रशासनिक आकस्मिकताओं के लिए रिलीज़ की जा रही हैं। मजदूरी का भुगतान इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस) में शामिल सभी राज्यों के संबंध में सीधे लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों में रिलीज़ किया जा रहा है। सामग्री और प्रशासनिक निधियां राज्य के राजकोष को रिलीज़ की जा रही हैं, जो आगे संबंधित राज्य नोडल खाते को यह निधि रिलीज़ कर देता है। वहाँ से खुदरा विक्रेताओं या सेवा प्रदाताओं या कर्मचारियों के पक्ष में निधि अंतरण आदेश जारी किए जाते हैं। अतः, इस योजना के अंतर्गत कोई भी निधि ग्राम पंचायत स्तर को रिलीज़ नहीं की जाती है और ना ही वहाँ रखी रहती है।

पीएमएवाई-जी:- प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत केवल एकल खाता रखा जाता है, जिसे राज्य नोडल खाता कहते हैं। समस्त कार्यक्रम और प्रशासनिक निधियां (केंद्रीय और राज्य अंश दोनों) राज्य नोडल खाते (एसएनए) में रखी जाती हैं और एसएनए से डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में रिलीज़ की जाती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछेक अपवादों को छोड़कर एसएनए से समस्त निधियों का अंतरण इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है और इससे आहरण के किसी अन्य तरीके की अनुमति नहीं है।

पीएमजीएसवाई:- पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सरपंच के स्तर पर ग्राम पंचायत को निधियों के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। अतः, उपर्युक्त पैरा पीएमजीएसवाई पर लागू नहीं होता।

डीवाई-एनआरएलएम:- एनआरएलएम के अंतर्गत सरपंच के स्तर पर ग्राम पंचायत को निधियों के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। जिला मिशन प्रबंधन एकक (डीएमएमयू) पीएफएमएस का प्रयोग करते हुए निधियां सीधे ब्लॉक मिशन प्रबंधन एकाई (बीएमएमयू) को उनकी वार्षिक योजना में अनुमोदित कार्यक्रम व्यय की पूर्ति के लिए अंतरित करते हैं।

डीडीयू-जीकेवाई कौशल:- डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत निधियां राज्य के राजकोष के माध्यम से एसआरएलएम/एसएसएम को रिलीज़ की जाती हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

एनएसएपी:- एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज़ की जाती हैं और निधियों की आगे रिलीज़ का प्रबंधन/निगरानी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र करते हैं।

एसपीएमआरएम:- एसपीएमआरएम के कार्यान्वयन के अंतर्गत अनिवार्य पूरक निधियों (सीजीएफ) का आवंटन संबंधित परियोजना की कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी को किया जाता है। क्लस्टरों की डीपीआर की घटकों के रूप में रुबनसॉफ्ट एमआईएस में दर्ज 72590 परियोजनाओं में से 15941 परियोजनाओं में कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी ग्राम पंचायत है। लाइन विभाग, सामुदायिक संगठन, ब्लॉक/जिला पंचायतें और अन्य एजेंसियां शेष परियोजनाओं की कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां हैं। इसीलिए, कार्यान्वयन की जिम्मेदारी (और संबंधित परियोजनाओं के लिए निधियां) विभिन्न निकायों में बंटी है और केवल ग्राम पंचायत/सरपंच के स्तर पर केंद्रित नहीं है।

2. क्लस्टर में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के चयन को जिला स्तरीय समिति (जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में) और राज्य स्तरीय अधिकार-प्राप्त समिति (राज्य के सचिव, ग्रामीण विकास/राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में) द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) में अनुमोदित की जाती हैं। इससे क्लस्टर और इसकी पंचायतों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की दोहरी जाँच सुनिश्चित होती है।

3. इसके अतिरिक्त देश में महामारी की दशा में सुधार होने के बाद, रूबन क्लस्टरों के संबंध में गहन सामाजिक लेखा परीक्षा कार्य शुरू कराने की योजना बनाई जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर यदि निधियों का कोई दुरुपयोग हुआ हो तो उसकी सामुदायिक भागीदारीपूर्ण समीक्षा सुनिश्चित की जा सके।

4. इसके अतिरिक्त, एसपीएमआरएम के अंतर्गत निधियों की रिलीज़ के लिए अपनाई जाने वाली एसओपी के अनुसार सभी अंतरणों का ब्यौरा रूबनसॉफ्ट-पीएफएमएस समेकन के माध्यम से तत्काल डिजिटल रूप में दर्ज किया जाता है। इससे पारदर्शिता का एक निश्चित स्तर सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

(डीओआरडी. का. ज्ञा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक:14/06/21)

सिफारिश (क्रम संख्या 6)

समिति यह नोट करके निराश है कि कर्मचारियों की आम लोगों के साथ मिलीभगत के कारण आज भी विभिन्न ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर नकली जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं जिसके कारण वे लोग जो वास्तव में गरीब हैं, मनरेगा के तहत अनिवार्य रूप से रोजगार पाने से वंचित रह जाते हैं। समिति का दृढ़ विचार है कि यद्यपि मनरेगा के तहत केंद्रीय बजट के मूल्यवान संसाधनों का आवंटन किया जाता है किंतु नकली रोजगार के कारण धीरे-धीरे बेरोजगार ग्रामीणों के लिए बनाई गई इस योजना का उद्देश्य ही समाप्त होता जा रहा है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि इस उपयोगी योजना के वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी आशय और प्रयोजनों के लिए बाधाओं को शुरू में ही जड़ से मिटाने के लिए सभी प्रकार के प्रयासों को करने की सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

राज्य, जॉब कार्डों को सत्यापित/अद्यतन करने के लिए समयबद्ध अभियान चलाते हैं। जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करती हैं कि ये सत्यापन अभियान समयबद्ध तरीके से चलाए जाते हैं। जॉब कार्डको सत्यापित/अद्यतन करने के लिए निम्नलिखित को सत्यापित किया जाता है:

- i. एसईसीसी टिन नंबर, यदि कोई हो, बैंक खाता/डाकघर खाता संख्या का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाए और जॉब कार्ड में दर्ज किया जाए।
- ii. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित उस परिवार का पारिवारिक फोटो या कामगारों के फोटो या व्यक्तिगत फोटो (प्रमुखतः) लगाना अनिवार्य है।
- iii. मांग, आबंटन, किए गए कार्य और भुगतान ब्यौरे को जॉब कार्ड में अनिवार्य रूप से अद्यतन किया जाए।

जारी किए गए जॉब कार्डों को सत्यापित और अद्यतन करने का अभियान जारी रखने की सलाह राज्यों को पहले ही दे दी गई है और अब तक लगभग 3.7 करोड़ जॉब कार्डों (फर्जी कामगारों के जॉब कार्ड सहित) को हटाए जाने वाले जॉब कार्ड के रूप में टैग किया जा चुका है। यह नरेगासॉफ्ट में राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आधारित है।

(डीओआरडी का. जा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक:14/06/21)

सिफारिश (क्रम संख्या 7)

समिति मनरेगा की धारा 7 (1) में यथा उल्लिखित बेरोजगारी भत्ता उपबंध के समुचित कार्यान्वयन के प्रति राज्य सरकारों के निष्ठुर रवैये को पुनः नोट करती है। यहां यह स्मरण किया जा सकता है कि समिति ने सत्रहवीं लोक सभा के दौरान अनुदानों की मांगों (2019-20) और (2020-21) की जांच के दौरान अपने पहले और चौथे प्रतिवेदन में इस पक्ष पर अपनी सिफारिशें दी थीं। तथापि समिति को इस उपबंध का जमीनी स्तर पर अक्षरशः और भावना से कार्यान्वयन दिखाई नहीं देता। समिति, यद्यपि, इस बात को अच्छी तरह जानती है कि इस उपबंध का वास्तविक कार्यान्वयन राज्य सरकारों के हाथ में है। तथापि, उनका अभी भी यह विचार है कि योजना की सभी चिंतायों, चाहे वे केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़ी हो-का समुचित और सावधानीपूर्वक समाधान नहीं किया जाता, तब तक योजना के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। अतः, समिति का ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध है कि राज्य/संघशासित क्षेत्रों से इस उपबंध का कठोर अनुपालन सुनिश्चित कराये।

सरकार का उत्तर

बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है। फिलहाल, रोजगार की मांग करने वाले 99.86 % परिवारों को इस अधिनियम के

अधिदेश के अनुसार 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जा रहा है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने बेरोजगारी भत्ता नियम और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता अनुमोदित करें।

भारत सरकार अलग-अलग फोरम के माध्यम से प्रगति की नियमित निगरानी कर रही है।

(डीओआरडी. का. ज्ञा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक:14/06/21)

सिफारिश (क्रम संख्या 8)

समिति को जांच चर्चा के दौरान सर्पदंश जैसे कई कारणों से मनरेगा श्रमिकों की कार्य के दौरान कार्यस्थल पर ही मृत्यु की घटनाओं की जानकारी दी गई थी। मनरेगा श्रमिक जो प्रायः दुर्घटना के समय प्राथमिक चिकित्सकीय सहायता पाने में भी सक्षम नहीं होते हैं, के असामयिक निधन को करुणा भाव से देखने की आवश्यकता है। समिति यह महसूस करती है कि मनरेगा श्रमिकों को बीमा और अन्य दावाकृत सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी अनुमोदन और औपचारिकताएं पूरी कराने के लिए उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है। समाज के सीमांत वर्ग के व्यक्ति के कम से कम दुर्घटना दावों का निराकरण तो शीघ्र किया जा सकता है। अतः समिति ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा श्रमिकों के लिए नियत क्षतिपूर्ति के एकमुश्त भुगतान हेतु आसान व्यवस्था बनाने की सिफारिश करती है, ताकि उन्हें मुसीबत के समय कुछ सांत्वना मिल सके।

सरकार का उत्तर

राज्यों के साथ आगे चर्चा करने और मनरेगा कामगारों के लिए एक निर्धारित मुआवजा राशि के अनुग्रहपूर्वक भुगतान का आसान तंत्र विकसित करने के लिए समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है।

(डीओआरडी का. ज्ञा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक:14/06/21)

सिफारिश (क्रम संख्या 9)

समिति को अनुदानों की मांगों की जांच पर चर्चा के दौरान यह जानकारी दी गई कि गैर-जरूरतमंद व्यक्तियों को भी पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों के रूप में लाभ दिया जा रहा है। समिति को इस योजना की कार्यान्वयन समीक्षा हेतु अपने अध्ययन दौरे में इस तथ्य के व्यापक साक्ष्य मिले थे। समिति प्रथम दृष्टयः ऐसे लाभार्थियों को देखकर दुःखी है। क्योंकि इस योजना के लिए धन की कमी में ऐसे लाभार्थियों का होना

उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग अपनी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाये ताकि इस योजना के दायरे में वास्तविक और गृहहीन व्यक्ति ही लाभार्थी के रूप में जुड़े।

सरकार का उत्तर

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति आधारित जनगणना, 2011 के अनुसार आवास और अन्य सामाजिक-आर्थिक अपवंचन मानदंडों के आधार पर की जाती है। तदनुसार, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सभी ग्रामीण आवासहीन और शून्य, एक या दो कमरे वाले कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को, एसईसीसी के अनुसार बहिर्वेशन प्रक्रिया और ग्राम सभा द्वारा विधिवत सत्यापन के अध्यक्षीन, स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाता है और मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

ग्राम पंचायत-वार सिस्टम जनरेटेड पात्र लाभार्थियों की सूचियों को सत्यापन के लिए ग्राम सभा को भेजा जाता है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा उन तथ्यों का सत्यापन करेगी जिनके आधार पर सूची में नाम शामिल किए गए हैं। यदि गलत तथ्यों के आधार पर सूची में नाम शामिल किए गए हैं, यदि परिवार ने पक्का मकान बनाया है या सर्वे के समय से ही प्रवास कर गया है या किसी सरकारी योजना के तहत मकान आबंटित किया गया है, तो ग्राम सभा ऐसे परिवारों के नाम हटा देगी। इसके अलावा, ग्राम सभा तथ्यों के आधार पर परिवार की प्राथमिकता बदल सकती है। नाम हटाए जाने, प्राथमिकता में किए गए बदलाव के कारण सहित इस तरह से हटाए गए व्यक्तियों की सूची ग्राम सभा संकल्प के कार्यवृत्त का हिस्सा होगी। ग्राम सभा तथ्यों के आधार पर परिवार को सूची से हटा सकती है और उसकी प्राथमिकता बदल सकती है, लेकिन स्थायी सूची में नए परिवारों को शामिल नहीं कर सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल सही परिवारों को ही स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाता है और सभी अपात्र परिवारों को हटा दिया जाता है।

लाभार्थियों की शिकायत का निवारण करने के लिए पीएमएवाई-जी के योजना दिशानिर्देशों में जिला स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तीन सदस्यीय अपील समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति, एक अन्य अधिकारी और कम-से-कम एक गैर-सरकारी सदस्य हो सकते हैं।

इसके अलावा, ऐसे परिवार, जो यद्यपि एसईसीसी डाटा के अनुसार पीएमएवाई-जी के पीडब्ल्यूएल में शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से शामिल नहीं किए जा सके, उन छूटे हुए परिवारों की मोबाइल ऐप्लिकेशन आवास+ के माध्यम से पहचान करने का कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया था। ऐसे परिवारों की पहचान करने की अंतिम तारीख 07 मार्च, 2019 थी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 3.57 करोड़ छूटे हुए परिवारों का ब्यौरा प्राप्त कर लिया है। एसईसीसी के तहत निर्धारित बहिर्वेशन मानदंड तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए अन्य बहिर्वेशन मानदंड के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवास+डाटा से अपात्र परिवारों को हटा रहे हैं ताकि केवल असली पात्र परिवार ही पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल किए जाने के लिए बच जाएं।

यदि योजना में अनियमितताओं के मामले जैसे निधियों का दुर्विनियोजन, अपात्र व्यक्तियों को मकानों का आबंटन, किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में निधियों की रिलीज, घूस मांगना और समय पर किस्तें जारी नहीं करना इत्यादि की जब कभी भी मंत्रालय को सूचना दी जाती है, तो मामले की जांच और उचित कार्रवाई करने के लिए उन्हें तत्काल संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है। इसके अलावा, अनियमितता से संबंधित शिकायतों पर संबंधित राज्यों के साथ चर्चा की जाती है ताकि तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों में उचित कार्रवाई की जा सके। वीआईपी व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के मामले में और ऐसी शिकायतों, जिनमें उठाए गए मुद्दे प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति के प्रतीत होते हैं, के मामले में इस मंत्रालय के पैनल के राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं (एनएलएमएस) को शिकायतों की जांच करने के लिए तैनात किया जाता है। यदि अनियमितता सिद्ध हो जाती है, तो संबंधित राज्य सरकार से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

(डीओआरडी का. जा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक:14/06/21)

सिफारिश (क्रम संख्या 10)

पीएमएवाई-जी योजना के कार्यान्वयन की जटिल बाधाओं में एक ऐसे लाभार्थियों को, जिनके पास भूमि नहीं है, घर उपलब्ध कराना है। जमीन की उपलब्धता आवास निर्माण की आवश्यक पूर्वशर्त है। इसके अभाव में शायद वर्ष 2022 तक 'सबको आवास' का सपना पूरा नहीं हो पायेगा। समिति ने ग्रामीण विकास के दस्तावेजों से नोट किया है कि दिनांक 03.12.2020 की स्थिति के अनुसार पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची

में शामिल ऐसे 4.09 लाख भूमिहीन लाभार्थियों में से 1.80 लाख लाभार्थियों को पहले ही भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में 2.29 लाख लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराना शेष है। भूमिहीन लाभार्थियों की यह बहुत बड़ी संख्या है और इसलिए समिति का विचार है कि ऐसे लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के काम में तेजी लाई जाए। अतः समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग भूमिहीन लाभार्थियों को शीघ्र भूमि आवंटन सुनिश्चित करने हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेशों से समन्वय स्थापित करें ताकि ये लाभार्थी भी पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवास का लाभ उठा सकें।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय भूमिहीनता के मामले की निरंतर समीक्षा कर रहा है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसे लाभार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटित करने का अनुरोध कर रहा है। सामंजस्य स्थापित मामलों की स्थिति के अनुसार, पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची में 4,58,087 लाभार्थियों में से 2,26,535 भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध करा दी गई है/भूमि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। शेष 2,31,552 भूमिहीन लाभार्थियों को अभी भूमि उपलब्ध कराई जानी है/भूमि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जानी है। निरंतर आग्रह करने से भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने की राज्य विशिष्ट कार्रवाइयां अर्थात् बिहार, असम, झारखंड, महाराष्ट्र इत्यादि में हुई हैं। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा माननीय जनजातीय मामलों के मंत्री को पत्र भी लिखा है कि वे अपनी मौजूदा योजनाओं में इसकी संभावना तलाशें और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराएं।

सचिव (ग्रामीण विकास) द्वारा दिनांक 09 अप्रैल 2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/सलाहकारों को पत्र लिखा गया था जिसमें यह कहा गया था कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अगले 2 महीने में पीएमएवाई-जी के सभी भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपने यहां के सचिव (राजस्व) और पीएमएवाई-जी का काम देखने वाले सचिव को शामिल करते हुए एक कार्यबल गठित करें। यह कार्यबल भूमिहीनों को निर्धारित समय-सीमा में भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे जैसे 50 प्रतिशत लाभार्थियों को 30 अप्रैल, 2021 तक; 75 प्रतिशत को 20 मई, 2021 तक और

90 प्रतिशत भूमिहीन लाभार्थियों को 31 मई, 2021 तक तथा 100 प्रतिशत को 15 जून, 2021 तक।

इसके अतिरिक्त, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने संबंधी मामले को सर्वाधिक भूमिहीन लाभार्थियों वाले 10 प्रमुख राज्यों के माननीय मुख्य मंत्रियों के साथ भी औपचारिक रूप से उठाया था। माननीय मंत्री ने 22.05.2021 को आयोजित समीक्षा बैठक में भी भूमिहीनता के मामले की प्रगति की समीक्षा की है।

(डीओआरडी का. जा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक:14/06/21)

सिफारिश (क्रम संख्या 11)

समिति को अनुदानों की मांगों के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की सूची के बारे में बहुत ही निराशाजनक स्थिति से अवगत कराया गया। यह साक्ष्य दिया गया कि जमीनी स्तर पर आंकड़ों का समेकन ग्रामीण विकास मंत्रालय को पोर्टल पर दिखाये आंकड़ों से भिन्न होता है क्योंकि ब्लॉक स्तर पर पात्र लाभार्थियों की सूची में उन लोगों के नाम शामिल नहीं थे, जिन्हें जमीनी स्तर पर पात्र पाया गया था। इससे भारी कमी देखी गई। कई अन्य जगहों पर भी कोटा समाप्त होने की जानकारी दी गई जबकि जमीनी स्तर पर पात्र लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में यह गंभीर दोष है और तत्काल निवारण की आवश्यकता है। ऐसी त्रुटियों से योजना की न केवल प्रभावशीलता कम होती है, अपितु ये पीएमएवाई-जी के अंतर्गत जरूरतमंद और वंचित वर्गों के पात्र लाभार्थियों के लिए भी हानिकारक है। अतः समिति ग्रामीण विकास विभाग को पात्र लाभार्थियों की शीघ्र समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने कि पीएमएवाई-जी के क्षेत्राधिकार से कोई भी पात्र और सही लाभार्थी छूटने पाये की पुरजोर सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक मजबूत तंत्र अपनाया है। पीएमएवाई-जी की स्थाई प्रतीक्षा सूची के परिवारों को किसी भी स्तर पर अपात्र पाए जाने पर लाभार्थियों की रिमांड करने की विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उन्हें रिमांड किया जाता है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने उन परिवारों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने के लिए एक वर्ष से भी अधिक समय तक कार्य किया, जो परिवार यद्यपि पीएमएवाई-जी के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र थे, लेकिन एसईसीसी 2011 आधारित स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल होने से रह गए। आवास+ में गलत डाटा दर्ज होने के मामले को ध्यान में रखते हुए डाटा का विश्लेषण करने और लक्ष्यों के आबंटन की उचित नीति सुझाने के लिए विभिन्न अन्य विषयों के सदस्यों और विषय विशेषज्ञों को शामिल करके विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवास+ डाटा से लक्ष्य आबंटित किए गए हैं।

(डीओआरडी का. ज्ञा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक:14/06/21)

सिफारिश (क्रम संख्या- 12)

समिति यह जानकर निराश है कि पीएमएवाई-जी के निर्धारित 63.76 लाख आवासों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में दिनांक 27.01.2021 तक 22.78 लाख आवासों का ही निर्माण किया गया। समिति को आशंका है कि आवासों के निर्माण की इस गति से वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य पूरा नहीं हो पायेगा क्योंकि अब बहुत दिन नहीं बचे हैं। समिति अनुभव करती है कि आशयित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न एजेंसियों और हितधारकों को मिलकर कार्य करने के लिए उनके बीच समुचित तालमेल की आवश्यकता है। अतः समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय को सिफारिश करती है कि लक्षित समयावधि में आवासों के निर्माण को पूरा करने के लिए अपनी एजेंसियों को शीघ्रता करानी चाहिए।

सरकार का उत्तर

यद्यपि महामारी के कारण मकान निर्माण की गति थोड़े समय के लिए प्रभावित हो गई थी, तथापि लॉकडाउन के बाद कुछ हद तक वह गति फिर से प्राप्त कर ली गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करके, उच्च स्तरों पर नियमित निगरानी करके और समस्या को समझकर तथा उसे प्राथमिकता आधार पर दूर करके मंत्रालय वर्ष 2020-21 में 35.27 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर सका। वित्तीय प्रगति के मामले में वर्ष 2020-21 में 46,376 करोड़ रुपए का सर्वाधिक उपयोग भी दर्ज किया गया।

तथापि, महामारी की दूसरी और पहले से अधिक गंभीर लहर तथा फलस्वरूप देश के कई राज्यों में लॉकडाउन ने योजना की प्रगति को फिर से प्रभावित कर दिया है। मंत्रालय सभी राज्यों के संपर्क में है और कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए उनके साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

(डीओआरडी का. जा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक:14/06/2021)

सिफारिश (क्रम संख्या 13)

समिति के समक्ष उत्पन्न मुद्दों में से एक वह आधार है जिस पर पीएमएवाई-जी के वर्तमान लाभार्थियों का चयन किया गया था। वर्तमान समय में, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत एसईसीसी, 2011 जनगणना वंचितकरण के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है। समिति द्वारा यह देखा गया है कि अब तक एक लंबा समय बीत चुका है और उसी परिवार के लाभार्थियों के बीच लाभार्थियों की एक नई पीढ़ी तैयार हो गई है। यह बदलाव निश्चित ही ध्यान देने योग्य है क्योंकि वंचित रखने के वर्तमान मानदंडों के होते हुए भी परिवारों के विस्तार से योग्य लाभार्थियों की संख्या में निश्चित ही बढ़ोतरी होगी। इस परिस्थिति को देखते हुए समिति महसूस करती है कि यह विषय बहुत महत्व रखता है तथा इसलिए समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह अनुरोध करती है कि वह प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत एक नई नीति तैयार कर अपनी-अपनी नीति की समीक्षा करे अथवा अपनी नीति की समीक्षा करे जिससे कि नए जरूरतमंद लाभार्थियों को शामिल किया जा सके।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने उन परिवारों की पहचान और समावेशन हेतु जो हालांकि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र थे परंतु एसईसीसी, 2011 पर आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल करने से छूट गए थे, के लिए जनवरी 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान एक साल से अधिक समय तक आवास+ सर्वेक्षण किया था। आवास+ में गलत डाटा प्रविष्टि के मामलों को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों के विश्लेषण और लक्ष्यों के आवंटन के उचित दृष्टिकोण की सिफारिश करने के लिए विभिन्न अन्य विषयों और विषय विशेषज्ञ सदस्यों वाली विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर आवास+ डाटा से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्य आवंटित किया गया है।

(डीओआरडी का. जा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक:14/06/2021)

सिफारिश (क्रम संख्या 14)

प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत किशतों का समय से जारी न होना एक सतत् शिकायत है। प्रधान मंत्री आवास योजना में किशतों के जारी होने में देरी के कारण आवास का निर्माण लक्षित समयावधि में पूरा न होने से पात्र लाभार्थियों, जो कि समाज के वंचित वर्ग से संबंध रखते हैं, के दुःख तथा परेशानियों में बड़े तौर पर बढ़ोतरी होती है। समिति द्वारा बार-बार यह देखे जाने पर भी तथा विभाग द्वारा इस तथ्य का संज्ञान लेने के बावजूद भी यह विषय अभी बरकरार है तथा शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। इसको देखते हुए समिति ग्रामीण विकास विभाग को इस वास्तविक चिंता की ओर अपने ढीले-ढाले रवैये को बदलने तथा प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत किशतों के समय पर जारी किए जाने के लिए सभी शामिल एजेंसियों के समन्वय से एक मजबूत तंत्र तैयार करने की सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

पीएमएवाई-जी योजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दो समान किशतों में निधियां रिलीज की गई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहली किशत पिछली रिलीज के उपयोग के अधीन लक्ष्यों के आवंटन के आधार पर रिलीज की जाती है जबकि दूसरी किशत पहली किशत के 60 प्रतिशत उपयोग करने पर निर्धारित दस्तावेजों जैसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण पत्र, संबंधित राज्य अंश की रिलीज, कुछ स्तर तक वास्तविक प्रगति को दर्शाने वाले दस्तावेज आदि को प्रस्तुत करने पर रिलीज की जाती है।

संशोधित राजकोष नियंत्रण आधारित व्यय प्रबंधन (वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिनांक 22.8.2017 के दिशा-निर्देशों के अनुसार) के अनुसार जीएसटी इनफ्लो का लाभ उठाने के लिए महीने की 21 से 25 तारीख के बीच 200 करोड़ से 2000 करोड़ रुपये तक की रिलीजें की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, योजना-वार और समग्र रूप से अनुदान मांगों के संबंध में वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम महीने में बजट अनुमान के क्रमशः 33% व्यय और 15% से अधिक व्यय करने की अनुमति नहीं होगी।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा दिनांक 23.03.2021 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियां रिलीज करने के संबंध में प्रक्रिया के अनुसार अब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चार किशतों (प्रत्येक किशत

के दो भाग) में रिलीज की जाती है और पूर्व में रिलीज की गई निधियों (केन्द्रीय और राज्य अंश दोनों) के 75% तक की निधियों का उपयोग किया गया हो।

समिति की जानकारी के लिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि मंत्रालय की ओर से किसी भी प्रयास की कमी के कारण राज्यों को निधियां रिलीज करने में बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। (डीओआरडी का. ज्ञा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक:14/06/2021)

सिफारिश (क्रम संख्या 15)

कई अवसरों पर समिति को प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) तथा प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सहायक घटक के बीच भारी विषमता के तथ्य से अवगत कराया गया है। समिति इस महत्वपूर्ण पहलू पर दोनों योजनाओं के तहत दी जाने वाली सहायता की प्रकृति तथा मात्रा को नोट करती है। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में दिए गए प्रस्तुतिकरण का भी संज्ञान लेती है। दोनों आवास योजनाओं के तहत दर्शाए गए वित्त प्रावधानों के संबंध में सभी को ध्यान में रखते हुए समिति अभी तक भी इस साधारण प्रथम दृष्टया तथ्य को बता पाने में सक्षम नहीं है कि ग्रामीण परिवेश में बहुपक्षीय लॉजिस्टिक तथा बुनियादी ढाँचे की बाधाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि कोई ग्रामीण और शहरी लाभार्थी की क्रय शक्ति समानता की तुलना करता है, तो यह स्पष्ट है कि जनसंख्या के किस क्षेत्र को अधिक सहायता की आवश्यकता है। इस प्रकार, विस्तृत विवरणों में जाए बगैर, समिति का यह पुरजोर मानना है कि ग्रामीण और शहरी स्तरों पर दोनों आवासीय योजनाओं के बीच समानता लाई जाए तथा इसलिए वह ग्रामीण विकास विभाग को जल्द से जल्द पीएमएवाई-जी के तहत इकाई सहायता घटक में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास करने का आग्रह करती है।

सरकार का उत्तर

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पक्के मकान के निर्माण के लिए (सामग्री ढोने की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए) लाभार्थियों को मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये (जो पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 70,000 रुपये थी) और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों तथा एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 1.30 लाख रुपये (जो पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 75,000 रुपये थी) की बढ़ी हुई इकाई सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के साथ तालमेल के माध्यम से अकुशल श्रम मजदूरी के

90/95 श्रम दिवस और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा योजना या वित्तपोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ तालमेल के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत इकाई सहायता में वृद्धि करने के लिए मंत्रालय द्वारा किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

वर्तमान में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत इकाई सहायता में वृद्धि करने के लिए मंत्रालय द्वारा किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है। तथापि, ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के सुझाव के अनुसार इस प्रभाग के दिनांक 22.07.2020 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से शौचालय/आईएचएचएल के निर्माण के लिए सहायता राशि को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का अनुरोध किया गया है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मकान निर्माण का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होना अनिवार्य है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयू) शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) से संबंधित लोगों की आवास संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित चार घटकों के माध्यम से दिनांक 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है।

क्र.सं.	घटक	मकान का क्षेत्रफल	इकाई सहायता
1	इनसिटू स्लम पुनर्विकास	30 वर्ग मीटर	1 लाख
2	साझेदारी में किफायती आवास	30 वर्ग मीटर	1.50 लाख
3	ऋण आधारित सब्सिडी योजना	वार्षिक आय के आधार पर 30 वर्ग मीटर से लेकर 200 वर्ग मीटर तक	ऋण राशि पर 3 से 6.5% तक सब्सिडी
4	लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत मकान निर्माण	30 वर्ग मीटर	1.50 लाख

मंत्रालय अपने शहरी क्षेत्रों के बराबर लाभ प्रदान करने के लिए ग्रामीण आवास ब्याज सहायता योजना (आरएचआईएसएस) में संशोधन पर विचार कर रहा है।

(डीओआरडी का.ज्ञा.सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक: 14/06/21)

सिफारिश (क्रम सं. 16)

समिति नोट करती है कि संपूर्ण देश की प्रगति और विकास देश के सभी हिस्सों तक मजबूत कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। यह योजना इस घटक विशेष पर लक्षित है परंतु किसी न किसी तरह से समय-समय पर यह देखा गया है कि पीएमजीएसवाई के तहत योजनाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी नहीं होती हैं। इस प्रकार की देरी कच्चे माल में खर्च को प्रभावित करने वाले मुद्रास्फीति के पहलू के कारण परियोजना लागत में वृद्धि करती है। यह भी देखा गया है कि परियोजनाओं की नोडल एजेंसियां वन विभाग जैसे विभिन्न मंत्रालयों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहती है जिसका प्रभाव लंबे समय तक पीएमजीएसवाई योजनाओं के पूर्ण होने पर भी पड़ता है। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, गहरी चिंता के साथ समिति ग्रामीण विकास विभाग को परियोजनाओं के प्रति अपने आकस्मिक दृष्टिकोण को छोड़ने तथा प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत संपूर्ण सजगता से लक्ष्यों को पूर्ण करने की सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

पीएमजीएसवाई के निष्पादन की जिम्मेदारी राज्यों की होती है, जबकि मंत्रालय परियोजनाओं के अनुमोदन, तकनीकी परामर्श, गुणवत्ता नियंत्रण और अन्य सुविधा सहित उनकी सहायता करता है। मंत्रालय राज्यों द्वारा पीएमजीएसवाई के निष्पादन को सुगम बनाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

विस्तार से, लगभग सभी राज्यों के पास व्यय करने के लिए पर्याप्त निधियां होती हैं और कार्यों के निष्पादन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय से निधियां रिलीज की जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत 99% पात्र और व्यवहार्य बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान किया गया है। इसी तरह पीएमजीएसवाई-II की प्रगति भी संतोषजनक है और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में से कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों ने या तो उन्हें दिए गए लक्ष्य को पूरा कर लिया है या कार्य पूरा होने की कगार पर है। निम्नलिखित कारणों से इन राज्यों में कार्य की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है: -

- i. अपर्याप्त निष्पादन और करार क्षमता।
- ii. कार्य की अवधि कम होना और दुर्गम क्षेत्र विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों में मौसम आदि के कारण।
- iii. सुरक्षा संबंधी चिंताएं

- iv. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत स्वीकृति मिलने में देरी होने के कारण कुछ कार्य रुका हुआ है।
- v. निर्माण सामग्री जैसे बजरी, मोरम, रेत, स्टोन एग्रीगेट, बिटुमेन, मशीनरी, मशीनरी को चलाने के लिए कर्मचारियों आदि की अपर्याप्त उपलब्धता।
- vi. विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा मोरम/बजरी/रेत/पत्थर खदानों पर प्रतिबंध लगाना।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उपरोक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्यों की सहायता करने के लिए कई पहल शुरू की हैं जो इस प्रकार हैं:
- i. लंबित वन स्वीकृति से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सचिव (ग्रा.वि.), गृह सचिव और सचिव (एमओईएफ एंड सीसी) के संयुक्त स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर बैठक आयोजित की गई है।
 - ii. मंत्रालय ने राज्यों की निष्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ राज्यों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को कार्य सौंपा है।
 - iii. अच्छे ठेकेदारों को कार्य सौंपने के लिए राज्यों में ठेकेदारों के अनेक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए।
 - iv. सड़क निर्माण में नई सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने यह अनिवार्य किया है कि राज्यों को वार्षिक प्रस्तावों में इन प्रौद्योगिकियों को कम से कम 15% अपनाना चाहिए। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत इन कार्यों के दायरे को और बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विवरणिकाओं (ब्रोशर), इसे स्वयं करें दिशा-निर्देश आदि के माध्यम से निष्पादनकर्ता एजेंसियों के अंदर विश्वास जागृत करने के आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय रूप से उपलब्ध/प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली सामग्रियों/सीमांत सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु जीएसबी लेयर के लिए सामग्रियों की ग्रेडिंग के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के विनिर्देशों में भी छूट दी गई है। इन उपायों के माध्यम से, ग्रामीण विकास मंत्रालय सामग्री की कमी के मुद्दे का समाधान करने और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रयास कर रहा है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 के दौरान 49017.47 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान 27,307 किमी सड़क लंबाई का निर्माण किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 100 किमी प्रतिदिन की औसत गति के साथ 36,676.64 किलोमीटर सड़क लंबाई का निर्माण किया गया है। पीएमजीएसवाई- I और

॥ से संबंधित कार्यों को 31 मार्च 2022 तक पूरा करने का भी प्रस्ताव है और तब तक राज्यों को सभी लंबित कार्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(डीओआरडी का.जा.सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक: 14/06/21)

सिफारिश (क्रम सं. 18)

समिति नोट करती है कि पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में एक बड़ी चूक जिसका सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता पर भारी असर पड़ा है, वह है कि योजनाओं को उन छोटे ठेकेदारों को उप-ठेकों पर दिया जाना जो निविदा की बोली लगाए जाने के समय प्रारंभिक दौर में शामिल नहीं थे। यद्यपि ठेकेदारी के क्षेत्र में कतिपय प्रमुख नामों का टेंडर की बोली जीतने में आधिपत्य बना हुआ है परंतु उसके पश्चात् यह ठेकेदार वास्तविक निर्माण कार्य की जिम्मेदारी आसानी से छोटे अंशों में छोटे/कम संसाधनों वाले ठेकेदारों को आगे कीमत में और कटौती तथा मुनाफे के लिए दे देते हैं। यह प्रावधानों का एक आपराधिक उल्लंघन है क्योंकि ऐसे छोटे ठेकेदारों की कोई उत्तरदेही नहीं है और वे परियोजना में केवल लाभ अर्जित करने के लिए होते हैं। उन्हें सड़क निर्माण की गुणवत्ता की कोई चिंता नहीं है तथा इस प्रकार से वह सड़क निर्माण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार की प्रथाएं अधिकारियों के ठेकेदारों के साथ मिलिभगत के बिना संभव नहीं है। गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों की उचित उत्तरदेही सुनिश्चित करने के लिए मानदंडों को कड़ा करना होगा तथा इसलिए समिति ग्रामीण विकास विभाग से सिफारिश करती है कि वह ऐसे विषयों पर बारीक नज़र बनाए रखे तथा पीएमजीएसवाई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिक निगरानी के जरिए चीज़ों को व्यवस्थित करें।

सरकार का उत्तर

मानक बोली दस्तावेज के अनुसार, पीएमजीएसवाई कार्यों के लिए ठेकेदार लिखित रूप में नियोक्ता के अनुमोदन के साथ निर्माण कार्य के किसी भाग को उप ठेके पर भी दे सकता है जो ठेके के मूल्य का 25 प्रतिशत तक, साथ ही साथ निर्माण कार्य के पूरा होने के पश्चात आंशिक या पूर्ण नियमित रखरखाव कार्य भी हो सकता है परंतु वह किसी को भी ठेका प्रदत्त नहीं करेगा। यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि ठेकेदार इस समझौते के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों के लिए हर समय जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा, भले ही उसके द्वारा उप-ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबंध या ठेकेदार द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी अन्य अनुबंध में कोई भी बात शामिल हो और इस तरह के किसी भी अनुबंध के अंतर्गत किसी भी चूक के लिए ठेकेदार को उसकी जिम्मेदारी या दायित्व से छूट नहीं मिलेगी।

इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक ठेकेदार पीएमजीएसवाई कार्यों के निष्पादन के लिए पात्र बनें, यह उचित है कि उन्हें भागीदार बनाया जाए और मुख्य ठेकेदार को उत्तरदायी बनाते हुए उन्हें काम की कुछ सीमित मात्रा उप-ठेके पर दी जाए। इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में ठेकेदारों के पूल में वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि हुई है।

(डीओआरडी का.जा.सं. जी-20011/3/2021-बी एण्ड ए दिनांक:14/06/21)

सिफारिश (क्रम सं. 20)

समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एनआरएलएम) ने वर्ष 2023-24 के अंत तक 9 करोड़ ग्रामीण गरीब महिलाओं को 78 लाख स्वतः-सहायता समूह (एसएचजी) में एकत्रित करने का लक्ष्यक रखा। डीओआरडी द्वारा निर्धारित यह लक्ष्य प्रशंसनीय है जो महिला एसएचजी गठन द्वारा ग्रामीण गरीब घरों को सार्वभौमिक सामाजिक रूप से एकत्रित करने के पथ पर आगे बढ़ने में सहायक होगा। समिति को डीओआरडी ने यह बताया कि एनआरएलएम इसलिए पीछे चल रहा है क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एनआरएलएम) के लिए देरी से धनराशि आवंटित की जिससे एनआरएलएम का विकास प्रभावित हो रहा है। अतः, यह नोट करते हुए कि दिसंबर, 2020 तक कुल 7.26 करोड़ ग्रामीण घरों को 66 लाख एसएचजी में लाने का लक्ष्य, प्राप्त किया गया, समिति सिफारिश करती है कि डीओआरडी ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए समयबद्ध तरीके से अपेक्षित लक्ष्यत को प्राप्त करने के लिए गंभीरतापूर्वक शीघ्र कार्यवाही करे।

सरकार का उत्तर

डीएवाई-एनआरएलएम विस्तार के लिए रिपोर्ट किए गए 6,944 ब्लॉकों में से, इस कार्यक्रम को मार्च 2021 तक 69.08 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में 7.52 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जुटाकर 6517 ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। शेष 427 ब्लॉकों में से 311 नए ब्लॉकों में विस्तार किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 87.48 लाख परिवारों को 7.80 लाख एसएचजी में संगठित करने की योजना बनाई गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त 96 ब्लॉकों में विस्तार करके, डीएवाई-एनआरएलएम को सभी 6944 ब्लॉकों में लागू कर दिया जाएगा। डीएवाई-एनआरएलएम वर्ष 2023-24 के अंत तक 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 78 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

(डीओआरडी का.जा.सं. जी-20011/3/2021-बीएण्डए दिनांक: 14/06/21)

सिफारिश (क्रम सं. 21)

समिति समाज के गरीब और वंचित वर्ग तक पहुंच बनाने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जैसी बड़ी योजना को तर्कसंगत मानती है। समिति नोट करती है कि इस कार्यक्रम का महत्व पूर्ण उद्देश्य वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों जैसे लाभार्थियों तक पहुंच बनाना है एवं समिति का यह दृढ़ मत है कि इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम समाज के ऐसे वर्गों के लिए वरदान होते हैं। तथापि, समिति इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करती है कि इस योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत मात्र 200 रुपये से 500 रुपये तक की राशि सहायता के रूप में दी जाती है। समिति ने अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2019-20 और 2020-21) संबंधी अपने पहले एवं चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में सिफारिश संख्या 16 और 19 के माध्यम से इस प्रकार की सिफारिश पहले भी की थी। तथापि, समिति इस बात पर निराश व्यक्त करती है कि अभी तक इस संबंध में कोई उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई। समिति इस मुद्दे को डीओआरडी द्वारा गंभीरता से न लिए जाने की बात का समर्थन नहीं करती है। इस लापरवाहीपूर्ण रवैये को देखते हुए समिति एक बार फिर पुरजोर सिफारिश करती है कि डीओआरडी गंभीरता से इस मुद्दे पर पुनः विचार करे तथा एनएसएपी के अंतर्गत सहायता राशि में वृद्धि संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाए।

सरकार का उत्तर

विभाग एनएसएपी के तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन अध्ययन को शीघ्र पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। मूल्यांकन अध्ययन करने वाली एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट की जांच के बाद, विभाग अध्ययन के परिणाम पर अंतिम निर्णय लेने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के परामर्श से पेंशन/सहायता की राशि में वृद्धि के संबंध में आगे की कार्यवाही शुरू कर सकता है।

(डीओआरडी का.जा.सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक: 14/06/21)

सिफारिश (क्रम सं. 22)

समिति नोट करती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एसपीएमआरएम) एक अद्वितीय कार्यक्रम है जो गांवों को शहरी सुविधाओं के साथ विकसित करने के लिए तैयार किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत देश में 300 रूबन क्लस्टर को विकसित किया जा रहा है। समिति का यह दृढ़ विचार है कि इस कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि डीपीआरएस को समग्र रूप से तैयार किया जाए जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर अधिकारियों/चुने हुए प्रतिनिधियों की प्रशासनिक कुशलता और निचले स्तर पर स्थानीय अनुभवों को शामिल किया जाता है। जो कंपनियां वहां आती हैं वे गलत डीपीआरएस बनाती हैं और वे स्थानीय भावनाओं और वास्तविकताओं की ओर ध्यान नहीं देती हैं और परिणामस्वरूप जनता

में असंतोष उत्पन्न होता है। समिति में विभाग के इस निवेदन की ओर भी ध्यान दिया कि राज्य डीपीआरएस को अंतिम रूप दिए जाने के बाद संसद सदस्यों द्वारा बनाए जाने वाले संशोधनों, यदि अपेक्षित हों, को शामिल कराने के लिए प्राधिकृत है। संबंधित संसद सदस्य के सभापतित्व में जिला स्तर पर एक सलाहकार समिति गठित की गई है। अतः, विभाग के दृष्टिकोण की ओर ध्यान देते हुए समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि डीपीआर स्थानीय जनसंख्या के सभी पक्षकारों, अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों के साथ उपयुक्त परामर्श कर तैयार की जाए। इस बात के मद्देनजर समिति डीपीआरडी से आग्रह करती है कि वह एसपीएमआरएम से संबंधित तरीकों की समीक्षा करे ताकि प्रारंभ से ही बेहतर डीपीआरएस को तैयार किया जाए तथा मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसद सदस्यों के सुझावों को बाद में 'अक्षरशः' शामिल कर संशोधन करने का प्रावधान किया जाए।

सरकार का उत्तर

डीपीआर तैयार करने और अनुमोदन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कार्यक्रम प्रभाग द्वारा पहले से उठाए गए कदमों, और संसद सदस्यों सहित स्थानीय हितधारकों की भागीदारी को उपर्युक्त समिति की टिप्पणियों में उजागर किया गया है। समिति का अभी भी यह विचार है कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि स्थानीय आबादी के सभी हितधारकों, अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ उचित परामर्श के पश्चात् डीपीआर तैयार की जाए।

2. इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीपीआर तैयार करना/संशोधन प्रक्रिया उचित हितधारक परामर्श के माध्यम से है, यह मंत्रालय एडवाइजरी जारी करेगा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संवेदनशील बनाएगा/ऐसे परामर्शों पर अमल करने में पेशेवरों/अध्ये ताओं की क्षमता का निर्माण करेगा।

3. रूबन क्लस्टर के विकास के लिए जिला स्तरीय सलाहकार समिति को महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होने के लिए संस्थागत बनाया जाएगा। इसकी अध्यक्षता माननीय संसद सदस्य करते हैं।

4. इसके अलावा, रूबन समूहों के विकास में माननीय संसद सदस्यों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, माननीय मंत्री (आरडी, पीआर, एण्डएफडब्ल्यू) ने उन सभी संसद सदस्यों को पत्र लिखा है जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में रूबन क्लस्टर हैं।

5. महामारी के बाद, कई क्लस्टरों में विकास प्राथमिकताओं में बदलाव देखा जा रहा है, जिसके लिए डीपीआर में संशोधन की आवश्यकता है। मंत्रालय ने एसपीएमआरएम समूहों के मौजूदा डीपीआर में किसी भी यथासंभव संशोधन पर विचार करने, मौजूदा ढांचे के भीतर, कोविड -19

महामारी को रोकने, उसका शमन करने और रूबन निवेशों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श-पत्र भी साझा किए हैं।
(डीओआरडी का.जा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक: 14/06/21)

सिफारिश (क्रम सं. 23)

'आदर्श ग्राम' जो अन्य गांवों के लिए मॉडल होगा, के विकास के मद्देनजर संसद सदस्य को 11 अक्टूबर, 2014 को शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया। एसएजीवाई के लिए कोई पृथक धनराशि आवंटित नहीं की गई, बल्कि एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया कि स्थानीय संसद सदस्यों द्वारा एसएजीवाई के अंतर्गत अपनाए गए गांवों को शामिल कर चल रही विकास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। तथापि, समिति इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि जिन संसद सदस्यों ने एसएजीवाई के अंतर्गत गांवों को अपनाया है, उन्हें विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है एवं संबंधित गांवों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। एसएजीवाई के अंतर्गत गांवों के समग्र विकास के लिए संसद सदस्यों के प्रयास और वास्तविक इच्छा विभिन्न कारणों से बेकार हो रहे हैं। प्राथमिकता से निचले स्तर पर योजनाओं को शामिल करने/क्रियान्वयन के प्रति अत्यंत लापरवाहीपूर्ण रवैया और ढलमुल नीति अपनाई जा रही है। नोडल एजेंसियों को एसएजीवाई गांवों के विकास को अपेक्षित महत्व देने की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। अतः संसद सदस्यों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए समिति पुनजोर सिफारिश करती है कि डीओआरडी एसएजीवाई गांवों में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करे।

सरकार का उत्तर

योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पहलें आरंभ की गई हैं:

- माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने माननीय संसद सदस्यों को पत्र लिखकर एसएजीवाई-II (2019-24) के तहत प्रत्येक वर्ष एक ग्राम पंचायत की पहचान करने के बजाय एक साथ पांच ग्राम पंचायतों (जीपी) की पहचान करने का अनुरोध किया है। ऐसा ग्राम पंचायतों को उनके वीडपी के तहत शुरू की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देने के लिए किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 21 मई 2021 तक अन्य 49 ग्राम पंचायतों (वर्ष 2022-23 में 26 ग्राम पंचायतें और वर्ष 2023-24 में 23 ग्राम पंचायतों) को लिया गया है।

2. एसएजीवाई के दिशानिर्देशों में राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समितियों (एसएलईसी) और जिला स्तर पर माननीय संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों के रूप में योजना के लिए ठोस संस्थागत समर्थन की परिकल्पना की गई है। राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि एसएलईसी प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करें और मासिक आधार पर डीएलईसी के अलावा एसएजीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्य करें।

3. एसएजीवाई ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देने के लिए 23 केंद्रीय योजनाओं के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। संसद सदस्यों, जिला और ग्राम स्तर के अधिकारियों के लाभ के लिए एसएजीवाई के तहत 127 केंद्रीय क्षेत्रों/केंद्र प्रायोजित योजनाओं और 1,806 राज्य योजनाओं का एक संकलन तैयार किया गया है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है और इसे योजना पोर्टल (sanjhi.gov.in) पर भी अपलोड किया गया है।

4. बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी की सुविधा के लिए योजना की अधिक प्रासंगिक जानकारी के साथ एसएजीवाई के सांझी पोर्टल को नया रूप दिया गया है।

5. योजनाओं के प्रभावी तालमेल के माध्यम से एसएजीवाई ग्राम पंचायतों का विकास करने के लिए माननीय संसद सदस्यों की सुविधा के लिए एक एमपी डैशबोर्ड भी विकसित किया जा रहा है। इसमें एक तालमेल टूलकिट प्रदान किया जा रहा है जो माननीय संसद सदस्यों के लिए एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में तालमेल के लिए संबंधित योजनाओं का चयन करने के लिए एक उपयोगी उपकरण होगा।

6. एसएजीवाई डिवीजन ने एनएलसी के सदस्य मंत्रालयों और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्य कार्यक्रम प्रभागों (फरवरी 2021 के महीने में डीओ पत्रों के माध्यम से) से अनुरोध किया है कि वे एसएजीवाई ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी करने के लिए उनकी संबंधित योजनाओं के दिशानिर्देशों में आवश्यक प्रावधान करने पर विचार करें। सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के संबंध में राष्ट्रीय स्तर की समिति (एनएलसी) की तीसरी बैठक दिनांक 09 दिसंबर 2019 को सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

7. यह मानते हुए कि एसएजीवाई के कार्यान्वयन के लिए अत्यधिक प्रेरणादायक और जानकार कर्मियों की आवश्यकता है, यह मंत्रालय राज्य के प्रशिक्षकों, राज्य नोडल अधिकारियों, प्रभारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों की टीम के लिए समय-समय पर क्षमता निर्माण

कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। अब तक, 1500 से अधिक एसएजीवाई पदाधिकारियों को तालमेल प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है।

8. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, एसएजीवाई प्रभाग ने एनआईआरडीपीआर के साथ समन्वय करके दिनांक 28-31 जुलाई 2020 और 01-03 सितंबर 2020 के दौरान एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के प्रभारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए वेबिनार के माध्यम से एसएजीवाई के संबंध में एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 304 प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया।

9. राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य की योजनाओं को लागू करने वाली एसएजीवाई ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दें और एसएजीवाई के तहत ग्राम विकास योजना में सहायता करने के लिए सीएसआर निधियां प्राप्त करने की संभावना का पता लगाएं।

(डीओआरडी का. जा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक: 14/06/21)

सिफारिश (क्रम सं. 24)

समिति ने बार-बार जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियां (डीआईएसएचए) की बैठकों को गंभीरतापूर्वक न आयोजित करने की ओर ध्यान दिया। जिला स्तर प्रमुख सामाजिक विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के मुख्य उद्देश्य से जून, 2016 में लोक सभा के स्थानीय संसद सदस्यों की अध्यक्षता में डीओआरडी द्वारा इन समितियों का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि ऐसी समितियों की तिमाही बैठकें हो ताकि जन प्रतिनिधियों की उन सरकारी अधिकारियों के साथ उपयुक्त चर्चा हो सके जो विभिन्न परियोजनाओं को देख रहे हैं। तथापि, जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके द्वारा इन बैठकों में शामिल न होने से इनका उद्देश्य विफल हो गया तथा उनके स्थान पर कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिशा की ऐसी बैठकों में शामिल होना आम बात हो गई जिन्हें इन परियोजनाओं की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए जो जानबूझकर दिशा की बैठकों में शामिल न होकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जब दिशा की बैठक तिमाही तौर पर करने संबंधी प्रावधान का पालन नहीं किया गया और लंबी अवधि तक कोई बैठक नहीं हुई। अतः समिति इस बात की निंदा करती है तथा चाहती है कि डीओआरडी इस मामले पर गंभीरता से कार्य करे और इस बात को सुनिश्चित करे कि प्रावधानों के अनुसार दिशा की बैठकें नियमित रूप से हों तथा संबंधित अधिकारियों के अनुपस्थित रहने से ये निरर्थक साबित न हो।

सरकार का उत्तर

दिशा समिति का गठन सुशासन की दिशा में एक अहम और प्रभावी कदम है। दिशा समिति की बैठकें ऐसे मंच प्रदान करती हैं जिसमें विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तार से चर्चा की जा सकती है और बैठक में माननीय संसद सदस्यों सहित सभी स्टैकहोल्डरों के मूल्यवान विचारों को शामिल करते हुए आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जा सकता है। इस मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि राज्य में दिशा समिति की बैठकें नियमित रूप से नहीं की जा रही हैं जो कि गंभीर चिंता का विषय है।

इस मामले को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय दिशा-निर्देशों में दिए गए अनुसार दिशा बैठकों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों से पुरजोर आग्रह कर रहा है। विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में दिशा समिति की बैठकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हाल ही में सचिव (ग्रा.वि.) ने अपने दिनांक 3 मार्च, 2021 के पत्र संख्या क्यू-13016/03/2021-दिशा के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे जिला कलेक्टरों को निर्देश दें कि वे बैठकों में जिले के सभी विभाग प्रमुखों की पूर्ण उपस्थिति के साथ दिशा समिति की नियमित बैठकें सुनिश्चित करें।

हाल ही में, श्री विजय कुमार, माननीय सांसद एवं दिशा के अध्यक्ष से बिहार के गया जिले की दिशा समिति की बैठकों में एनएचएआई के अधिकारियों के भाग न लेने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर, मामले को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने सूचना दी है कि एनएचएआई के अध्यक्ष से 10 मार्च, 2021 के पत्र संख्या एनएच-35014/04/2021-एच के जरिए अनुरोध किया गया है कि वे दिशा बैठकों में संबंधित अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि एपीएआर में दिशा समिति की बैठकों के आयोजन में जिला अधिकारियों के कार्य-निष्पादन के संबंध में टिप्पणी की जाए।

इस प्रकार, विभाग द्वारा दिशा बैठकों को और अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी बनाने के लिए विभाग द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि मंत्रालय द्वारा सतत हस्तक्षेप से जिला प्राधिकारियों को नियमित रूप से दिशा समिति की बैठकों को आयोजित करने के लिए प्रेरित करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

(डीओआरडी का. ज्ञा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक:14/06/21)

सिफारिश (क्रम सं. 25)

डीओआरडी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का एक मुख्य पहलू राज्य सरकार द्वारा निभाई जाने वाली मुख्य भूमिका है। समिति इस स्थिति विशेष से अवगत है कि देश में सरकार का संघीय स्वरूप है जिसमें राज्यों को किसी

योजना के निचले स्तर पर सफलता के लिए मुख्य भूमिका निभानी होती है। अधिकांश केंद्रीय योजनाओं में धनराशि की औसत दर 60:40 होती है जिसमें राज्य सरकारों को समग्र पर अपना हिस्सा जारी करना होता है और योजना की प्रगति इस पहलू पर निर्भर करता है। समिति इस तथ्य को नोट करती है, लेकिन समिति का यह मत है कि एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापक परिदृश्य में देश का जरूरतमंद नागरिक इस कारण परेशानी का सामना करता है। नौकरशाही संबंधी मुद्दों का बार-बार उल्लेख करने की बजाए विभाग इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि जरूरतमंद तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना उसका दायित्व है। राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय के लिए तरीकें अपनाने होंगे और इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि राज्य समय पर धनराशि जारी करें ताकि योजनाओं का सुचारु संचालन हो सके। अतः समिति सिफारिश करती है कि डीओआरडी व्यापक हित में राज्य सरकारों के साथ रचनात्मक और सार्थक समन्वय करे तथा ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय करें।

सरकार का उत्तर

मनरेगा:- महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत, मंत्रालय 100% मजदूरी भुगतान और 75% सामग्री लागत भुगतान के लिए उत्तरदायी है जबकि राज्य सरकारें एक वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के 25% सामग्री लागत भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय सुनिश्चित करता है कि रिलीज की अगली किश्त से पहले, संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य का बकाया अंश रिलीज किया जाना चाहिए।

मंत्रालय नियमित रूप से राज्य के अंश की रिलीज की स्थिति की समीक्षा करता है और देरी से रिलीज के मामले में, मंत्रालय राज्य को एडवाइजरी जारी करता है।

पीएमएवाई-जी:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई सहायता राशि की लागत को मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सहित पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में 90:10 के अनुपात में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच साझा किया गया है। लद्दाख सहित शेष संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत मकान की लागत को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार केंद्रीय अंश के सदृश केंद्रीय अंश की रिलीज के 15 दिनों के भीतर पूर्ण राज्य अंश जारी करेगा। पूर्ववर्ती रिलीज में राज्य अंश में कमी की स्थिति में केंद्रीय अंश की दूसरी किश्त से समतुल्य धनराशि की कटौती की जाएगी। राज्यों द्वारा रिलीज किए गए राज्य अंश की सूचना आवाससॉफ्ट पर दी जानी होती है जिससे कि अगली किश्त की रिलीज की जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवाससॉफ्ट पर दी गई जानकारी के अनुसार

39,268.96 करोड़ रूपए के केंद्रीय अंश में से 20,553.66 करोड़ रूपए की धनराशि की जानकारी राज्य अंश के रूप में दी गई है। मिलान किए गए आंकड़ों के अनुसार, रिलीज किए जाने के लिए लंबित राज्य अंश कुल लंबित अंश की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है और यह मंत्रालय इसकी निगरानी कर रहा है।

पीएमजीएसवाई:- योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को मैचिंग राज्य अंश सहित केंद्रीय अंश 15 दिनों की अवधि के भीतर एसआरआरडीए के नोडल खाते में अंतरित करना है। तथापि, राज्य सरकार न केवल केंद्रीय अंश रिलीज करने में बल्कि राज्य अंश रिलीज करने में भी अधिक अपेक्षाकृत समय लेती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य दोनों अंश समयानुसार रिलीज करे, यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य को आगामी निधि तभी रिलीज की जाए जब उन्होंने अपना विगत केंद्रीय साथ ही मैचिंग राज्य अंश रिलीज कर दिया है।

माननीय मंत्री एवं सचिव की ओर से क्रमशः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माननीय मुख्य मंत्री तथा मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का अंश समयानुसार रिलीज करने के लिए पत्र लिखे गए हैं।

इस सभी प्रयासों के कारण राज्यों से निधियों की रिलीज सुव्यवस्थित हो रही है। राज्यों के साथ होने वाली मासिक बैठक में इस मामले की लगातार समीक्षा की जाती है।

डीएवाई-एनआरएलएम:- डीएवाई-एनआरएलएम के तहत केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तपोषण अनुपात मैदानी क्षेत्रों में 60:40 है और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 90:10 है। अन्य संघ राज्य क्षेत्र केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अंश की रिलीज के बाद, यह प्रभाग पीएफएमएस, तिमाही रिपोर्ट (आईयूएफआर) ऑनलाईन एमपीआर, विशेष संदेश इत्यादि के माध्यम से राज्य अंश की रिलीज की नियमित निगरानी करता है। चूककर्ता राज्यों के प्रधान सचिवों/मुख्य सचिवों को पत्र भी भेजे जाते हैं। इन सभी उपायों से, यह प्रभाग राज्य अंश की समयबद्ध रिलीज को सुनिश्चित करता है।

डीडीयू-जीकेवाई कौशल:- डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत निधियों की रिलीज मांग के आधार पर की जाती है। राज्य 60% व्यय तक पहुँचने पर, आवश्यक दस्तावेजों के साथ निधियों के लिए आवेदन करते हैं। इस आधार पर राज्य को निधियां रिलीज की जाती हैं। आगामी रिलीजों के लिए विगत मैचिंग राज्य अंश का योगदान हमेशा ही एक पूर्व शर्त है। इसके अतिरिक्त,

राज्यों के साथ होने वाली समीक्षा बैठक के दौरान राज्य अंश की रिलीज को प्रस्तुत किया जाता है।

एनएसएपी:- एनएसएपी एक 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसमें राज्य का योगदान अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक है।

एसपीएमआरएम:- कार्यक्रम प्रभाग ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि वे राज्य के खजाने में केंद्रीय निधियों की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर राज्य अंश की रिलीज को सुनिश्चित करें। कार्यक्रम प्रभाग वीडियो कांफ्रेंसिंग, आवधिक चर्चाओं तथा विभिन्न मंचों जैसे वार्षिक कार्य योजना बैठकों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों के माध्यम से इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के नजदीकी संपर्क में है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को आगे निधियों की रिलीज तब तक नहीं की जाती जब तक कि कार्यक्रम के लिए सभी लंबित राज्य अंश राज्य के नोडल खाते में रिलीज नहीं कर दिया गया हो।

मंत्रालय का दृष्टिकोण राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करने का है जिससे कि कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि हो, उनके साथ रचनात्मक एवं अर्थपूर्ण समन्वय हो तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि जरूरतमंद के दरवाजे तक योजनाओं की पहुँच हो। मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निम्नलिखित उपायों के माध्यम से रचनात्मक तथा अर्थपूर्ण सहयोग करता है:

- एक. एनआईआरडी एवं पीआर, एसआईआरडी तथा अन्य साधनों से कराए गए कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम कर्मियों का क्षमता-निर्माण।
- दो. पॉलिसी एडवाइजरीज़, कार्यक्रम दिशा-निर्देशों, आवधिक समीक्षाओं, मूल्यांकनों तथा फीडबैक के माध्यम से।
- तीन. विभिन्न आंकड़ों के विश्लेषण तथा रिपोर्टों के लिए मानक एमआईएस प्लेटफॉर्म जो कि केंद्र एवं राज्य सरकारों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता करते हैं।
- चार. क्लस्टरों/समुदाय प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से अनुभव साझा करना।
- पाँच. मिशन के सुदृढीकरण के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करना और यह सुनिश्चित करना कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के फीडबैक का रचनात्मक कार्यों/नीतियों में उपयोग किया गया है।

छः. कार्यक्रम के संदेशों को समाज के निचले सोपान तक पहुँचाने के लिए संचार सामग्री, अप्रोचेज़ तथा मीडिया सुविधाएं साझा करना।
सात. नॉलेज प्लेटफार्म फ्रेमवर्क में सर्वोत्तम कार्यों को साझा करना, तकनीकी सहायता तथा परामर्श इत्यादि का पारिस्थितिकी तंत्र।

(डीओआरडी का.जा.सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए, दिनांक 14/06/2021)

सिफारिश (क्र.सं.. 26)

समिति का यह दृढ़ विचार है कि देश के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने हेतु कोई भी अच्छा प्रयास समर्पित, सुदृढ़ और प्रभावी निगरानी तंत्र, जिसमें उत्तरदायित्व तथा सजा संबंधी प्रावधान हो, के अभाव में विफल हो जाएगा। डीओआरडी महत्वपूर्ण योजनाओं को चला रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और सीमांत वर्गों के उत्थान के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। समिति यह भी नोट करती है कि सभी योजनाओं में स्वतः ही निगरानी तंत्र उपलब्ध होता है लेकिन इनसे अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आते। चाहे मनरेगा हो जिसमें झूठे जॉब कार्ड जारी करने की कुप्रथा है, जरूरतमंद लाभार्थियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है, घर पूरा होने संबंधी प्रमाण-पत्र की झूठी जियो-टैगिंग की जाती है, पीएमजीएसवाई में ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ होती है, घरों के आवंटन में ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार प्रचलित है और धनराशि जारी करने में ही भ्रष्टाचार व्याप्त है। समिति इस प्रकार की खराब परिस्थितियों से अत्यंत दुखी है तथा महसूस करती है कि समय की मांग है कि चूककर्ता अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। अतः समिति डीओआरडी से पुरजोर आग्रह करती है कि वह भ्रष्टाचार की प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रत्येक योजना के अंतर्गत निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए उसका अक्षरशः पालन करे।

सरकार का उत्तर

मनरेगा:- महात्मा गांधी नरेगा योजना का कार्यान्वयन नरेगासॉफ्ट नामक एंड टू एंड इंटीग्रेटेड ट्रांजेक्शन आधारित एनआईएस प्लेटफार्म पर किया जाता है जो कि आयोजना, योजना की प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति, जॉब कार्डों के मामले, मांग की स्वीकृति, मस्टर रॉल जारी करना, मापना, भुगतान की स्वीकृति तथा लाभार्थी को डीबीटी-पीएफएमएस प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान से संबंधित सभी पहलू की निगरानी करता है।

योजना में निधियों के उचित उपयोग हेतु विभिन्न निगरानी तथा मूल्यांकन व्यवस्थाएं हैं, जो इस प्रकार हैं: -

1. ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों द्वारा निगरानी।
2. कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक, डीआरडीए द्वारा निगरानी।
3. जिला-विकास समन्वय तथा निगरानी समिति द्वारा निगरानी।
4. परियोजना कार्यान्वयन के दौरान सभी परिसम्पत्तियों-3 की जियोटैगिंग।
5. सामाजिक लेखा परीक्षा: प्रत्येक वर्ष दो बार।
6. आंतरिक लेखा परीक्षा।
7. क्षेत्र अधिकारियों द्वारा निगरानी।
8. सामान्य समीक्षा मिशन।
9. राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा निगरानी- नियमित एवं विशेष
10. शिकायत निपटान तंत्र- लोकायुक्त, ग्राम पंचायतें, सीपीजीआरएएम (सीपीग्राम)
11. नागरिकों के फीडबैक तथा जानकारी के लिए जनमनरेगा/ग्राम संवाद एप्प।
12. मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष निगरानी।
13. मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में केंद्रीय दल द्वारा विशेष जांच पड़ताल।

निधियों के दुरुपयोग अथवा भ्रष्टाचार या किसी भी शिकायत का समाधान योजनाओं के अधिनियम तथा दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

मंत्रालय ने क्षेत्र दौरों के माध्यम से जियो-टैग की गई परिसंपत्तियों की क्रॉस चैक करने के लिए तृतीय पक्ष एजेंसी को नियुक्त किया है और एजेंसी जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

हाल ही में मंत्रालय ने नेशनल मोबाईल मॉनीटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) मोबाईल एप्प तथा एरिया ऑफिसर मॉनीटरिंग विजिट मोबाईल एप्प की शुरुआत की है। यह कदम योजना में जबाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है। एनएमएमएस एप्प के अंतर्गत जियोटैग्ड फोटोग्राफ सहित महात्मा गांधी नरेगा योजना के स्थलों पर कामगारों की वास्तविक समय आधारित उपस्थिति लेने की सुविधा है, जिससे भुगतान की कार्यवाही काफी शीघ्रता से किए जाने के अलावा योजना नागरिक निरीक्षण को बढ़ावा मिलेगा। एरिया ऑफिसर मॉनीटरिंग विजिट एप्प उन्हें महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं के लिए

टाईम-स्टैम्पड एंड जियो-कॉर्डनेट टैगड फोटोग्राफ सहित उनके निष्कर्षों की ऑनलाईन रिकॉर्डिंग में भी सहायता करता है।

पीएमएवाई-जी:- मकान निर्माण के प्रत्येक पूर्व निर्धारित चरण में टाईम तथा डेट की स्टैम्पिंग के साथ जियो-टैगड फोटोग्राफ की अपलोडिंग के माध्यम से मकान के निर्माण की निगरानी आधारित साक्ष्य। आवाससॉफ्ट में “हाउस क्वालिटी रिव्यू एप्लीकेशन” का उपयोग करके बनाए गए पीएमएवाई-जी मकानों की गुणवत्ता की निगरानी समीक्षा के लिए जियोटैग किए गए फोटोग्राफ का प्रयोग। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी मकान के निर्माण में तेजी लाने के लिए एक तंत्र बनाया है। उन्होंने त्वरित निर्माण हेतु लाभार्थियों के लिए न केवल प्रोत्साहन राशि रखी है बल्कि कुछ मकानों को आवास सहायक, आवास मित्र इत्यादि से भी जोड़ा है, जो न केवल पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं बल्कि उन्हें मकानों का निर्माण शीघ्र तथा समयानुसार पूरा करने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और उन्हें पीएमएवाई-जी के अंतर्गत बेहतर निष्पादन के लिए प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की निगरानी हेतु परफॉर्मंस इंडेक्स डैशबोर्ड तैयार किया गया है ताकि भौगोलिक तथा मानक दोनों दृष्टि से कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की निगरानी की जा सके जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राष्ट्र स्तर पर और राज्य के भीतर उनकी रोजाना के कार्य निष्पादन के आधार पर रैंकिंग की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक पुरस्कार निष्पादन इंडेक्स डैशबोर्ड पर उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर दिए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा राज्यों के अनुरोध पर प्रशासनिक निधि प्रबंधन प्रणाली अर्थात् प्रशासनिक मॉड्यूल तैयार किया गया है ताकि अंतिम उपयोगकर्ता तक प्रशासनिक निधियों के (कार्यकलाप-वार) प्रवाह की जानकारी प्राप्त की जा सके।

पीएमजीएसवाई:- योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों की नियमित रूप से समीक्षा राज्यों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों तथा पूर्व अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों, वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से मासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जाती है तथा राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाता है, लाभार्थी की पहचान की जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। लगातार निगरानी के परिणामस्वरूप, लंबित वन मंजूरी के कारण रूकी हुई परियोजनाओं की संख्या पर्याप्त रूप से कम हो गई है। सूक्ष्म निगरानी के कारण राज्यों को लंबित परियोजनाएं सौंप दी गई हैं जिससे विभिन्न कारणों से न सौंपी गई परियोजनाओं की संख्या में भी कमी आयी है।

2. ऑनलाइन निगरानी टूल: संपूर्ण कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन में अधिक कुशलता, जवाबदेही तथा पारदर्शिता लाने के लिए पीएमजीएसवाई हेतु एक मॉडर्न वेब आधारित ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और अकाउंटिंग सिस्टम (ओएमएमएस) तैयार किया गया है। मुख्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में ग्राम सड़क योजना एवं कोर नेटवर्क, प्रस्ताव, टेंडरिंग तथा कांटेक्टिंग, निष्पादन (वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति) गुणवत्तापूर्ण निगरानी, निधियों का प्रवाह तथा प्राप्ति तथा भुगतान खाते (कार्य खाते) शामिल हैं। इसकी वेबसाइट है- www.omms.nic.in। ई-भुगतान और ई-प्रापण जैसे नए आयाम इसमें जोड़े गए हैं। राज्यों को सीधे ओएमएमएस पर प्रगति का डाटा प्रस्तुत करना होता है जिससे पीछे रहने वाले राज्यों की जानकारी रखने में मदद मिलती है।

3. सैटेलाइट-इमेजरी का उपयोग: इसका उपयोग ओएमएमएस द्वारा प्राप्त आंकड़ों तथा वास्तविक निर्माण/कवरेज के बीच अंतर की जानकारी के लिए किया जाता है।

4. परियोजना प्रबंधन टूल का उपयोग: देशभर में, कच्ची सामग्री की सुविधा और उपलब्धता में अंतर है। कुछ राज्यों/जिलों में या तो प्राकृतिक एग्रीगेट्स की उपलब्धता नहीं है या वहां पर्यावरण के कारण अथवा अन्य कारणों से खनन पर प्रतिबंध है। इसके अलावा, देशभर में मौसम की स्थितियों में अंतर है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों/पर्वतीय राज्यों में जहां लगातार होने वाली बारिश तथा बर्फबारी के कारण कार्य के मौसम बहुत कम होते हैं। इसके अलावा, दुर्गम क्षेत्रों में बिटूमन की आवाजाही में देरी और कठिनाई होती है जिससे पूरे वर्ष इसकी उपलब्धता प्रभावित होती है। कुछ क्षेत्रों में सुरक्षात्मक कार्यों, क्रॉस ड्रेनेज कार्यों और निचले क्षेत्र के कारण एक जैसी किमी. वाली सड़क के लिए कार्य की मात्रा मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। ये कुछ ऐसे कारक हैं जो जमीनी स्तर पर कार्य की प्रगति को प्रभावित करते हैं। इन स्थितियों के कारण सभी क्षेत्रों तथा राज्यों के मध्य प्रगति एक जैसी नहीं हो सकती है। तथापि, अच्छी आयोजना और परियोजना प्रबंधन से सभी ऐसी कठिनाइयों को कम करने के लिए मौजूदा ओएमएमएस के साथ परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली का समेकन किया जा रहा है। यह पीएमआईएस बेहतर ढंग से परियोजना प्रबंधन में मदद करेगा क्योंकि यह कार्यकलापों का विश्लेषण और उन्हें चिह्नित करेगा जो कि धीमी गति से चल रहे हैं और उनमें सुधार के कारणों का निर्धारण करेगा। यह आशा की जाती है कि सक्षम पर्यवेक्षण तथा परियोजना प्रबंधन से दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना में लगने वाले समय का उपयुक्त समाधान किया जा सकेगा।

5. ई-प्रशासन तथा डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से 20 जुलाई, 2015 को पीएमजीएसवाई सड़कों के लिए एक नई मोबाइल एप, "मेरीसड़क" का शुभारंभ किया

गया और उपभोक्ता अनुकूल तथा पारदर्शी नागरिक फीडबैक एवं शिकायत निपटान प्रणाली के लिए इसको ओएमएमएस से जोड़ा गया। नागरिक इस एप्लीकेशन के जरिए पीएमजीएसवाई कार्यों की धीमी गति, छूट गए कार्य अथवा खराब गुणवत्ता से संबंधित अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं।

डीएवाई-एनआरएलएम:- डीएवाई-एनआरएलएम में एक सख्त निगरानी प्रणाली है जो कि विभाग को निदेश देता है कि वे नियमित रूप से विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति के विषय में सूचना प्राप्त करें। डीएवाई-एनआरएलएम की नियमित प्रगति की अपडेट एमआईएस पोर्टल एवं बैंक लिंकेज पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। उप योजनाओं का एमआईएस भी नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक कार्यक्रम शीर्ष द्वारा नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। कार्यक्रम के सभी घटकों की तिमाही आधार पर समीक्षा भी की जाती है और ऐसी बैठकें विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की जाती है। निष्पादन समीक्षा समिति प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करती है। वार्षिक सामान्य समीक्षा मिशन भी डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत एक मुख्य निगरानी तंत्र रहा है। निगरानी प्रक्रियाओं से विभाग को विभिन्न राज्यों को कार्यों में हुई प्रगति के बारे में निर्देश देने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय स्तर की नियमित निगरानी वर्ष में दो बार की जाती है इसमें कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है और सिफारिशें की जाती हैं। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्र स्तरीय नियमित निगरानी के निष्कर्षों पर कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य एकर नियुक्त किए गए हैं। कुछ अग्रणी राज्यों को उनसे कम अग्रणी राज्यों की सहायता के लिए राष्ट्रीय संसाधन संघटनों के रूप में भी मान्यता दी गई है। इन सभी प्रणालियों से पिछड़े राज्यों को और अधिक अग्रणी राज्यों के समकक्ष लाने के प्रयास किए जाते हैं।

डीडीयू-जीकेवाई कौशल :- निगरानी और मूल्यांकन डीडीयू-जीकेवाई का एक प्रमुख घटक है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय, एसआरएलएम तथा निजी एवं सार्वजनिक एजेंसियों के बीच सहभागिता से चलाया जाता है। मानीटरिंग प्रशिक्षण पूर्व कार्यकलापों, चल रहे प्रशिक्षणों के दौरान और प्रशिक्षण के पश्चात् के कार्यकलापों में हुई प्रगति (मात्रा तथा गुणवत्ता) को सतत मापना है। इसमें प्रगति की जांच और मापन, स्थिति का विश्लेषण तथा नई घटनाओं, अवसरों तथा मुद्दों के प्रति प्रतिक्रिया शामिल है। डीडीयू-जीकेवाई परियोजना की निगरानी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों, राज्यों में डीडीयू-जीकेवाई का

कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों अर्थात् राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)/ राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) अथवा राज्य तकनीकी सहायता एजेंसियों तथा केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी अर्थात् ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से एनआईआरडी एवं पीआर तथा नैबकॉन्स द्वारा उन्हें आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में की जाती है।

डीडीयू-जीकेवाई में समवर्ती निगरानी प्रणाली का अनुपालन किया जाता है जिसमें मानक प्रचालन प्रक्रिया विधियों के अनुसार परिभाषित लक्ष्यों तथा अवधियों के आधार पर सभी कार्यकलापों तथा प्रक्रियाओं की निगरानी की जाती है। परियोजनाओं के मात्रात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण के माध्यम से निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, बिजनेस प्रोसेस पुनर्गठन के आधार पर निगरानी प्रक्रिया तथा कार्यकलापों का आवश्यक अपडेशन तथा ऑटोमेशन किया जाता है।

एनएसएपी :- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें जो कि योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विभागों के साथ समन्वय द्वारा कार्यान्वयन की प्रगति के विषय में सूचित कर सके। राज्य नोडल विभाग द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रगति की सूचना दिए हुए मानीटरिंग फॉर्मेट में प्रत्येक माह ऑनलाईन दी जानी होती है। वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की रिपोर्टों की सूचना न दिए जाने को प्रगति की कमी के रूप में माना जाता है और इसके फलस्वरूप केंद्रीय सहायता राशि रिलीज नहीं की जा सकती है। अधिकांश लाभार्थियों के आंकड़ें एनएसएपी पोर्टल पर डिजिटलीकृत किए गए हैं और निधियों की रिलीज को भी डिजिटलीकृत आंकड़ों से जोड़ा गया है।

केंद्र स्तर पर योजना की निगरानी तिमाही निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों, नोडल अधिकारियों की बैठकों, क्षेत्र अधिकारी दौरे तथा राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं (एनएलएम) द्वारा नियमित एवं विशेष निगरानी के माध्यम से की जाती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक सत्यापन रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करनी होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया गया है कि वे ग्राम स्तर पर सामाजिक लेखा-परीक्षा कराएं और नियमित आधार पर मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामाजिक लेखा-परीक्षा के अलग दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं।

एसपीएमआरएम:- समिति की आवश्यकतानुसार, कार्यक्रम प्रभाग अपनी निगरानी प्रणाली को तीक्ष्ण करने के लिए लगातार विभिन्न उपाय कर रहा है। किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

- क. रूबनसॉफ्ट एमआईएस प्लेटफॉर्म में अनिवार्य पूरक निधियों (सीजीएफ) के उपयोग की ट्रांजेक्शन आधारित गतिशील अपडेट की व्यवस्था है। प्रत्येक ट्रांजेक्शन संबंधित उप-कार्य, परियोजना, उप-घटक तथा घटक से जुड़ी है। किसी भी परियोजना के लिए व्यय केवल राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) के उपयुक्त अनुमोदन के बाद ही अनुमेय है।
- ख. प्रत्येक स्वीकृत परियोजना के लिए, रूबनसॉफ्ट में प्रविष्टियां अनुमोदन/स्वीकृति की प्रतियों जियोटैगिंग, चरणों के पूर्व एवं बाद के फोटोग्राफ की अपलोडिंग सहित की जाती है। इन्हें परियोजना के बंद होने से पहले जिला एवं राज्य प्राधिकारियों द्वारा भी सत्यापित किया जाता है। कार्यक्रम प्रभाग जियो-टैग्ड चित्रों की सैंपल चेंकिंग भी करता है।
- ग. समेकित निगरानी को सुगम बनाने के लिए वेंडरों को सभी भुगतान उनके खातों में सीधे पीएफएमएस आधारित ट्रांजेक्शन के माध्यम से किए जाते हैं। एसपीएमआरएम के अंतर्गत अनुपालन किए जाने वाली मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि के अनुसार, क्लस्टर के लिए निर्धारित की गई सभी निधियां विभिन्न स्तरों पर विभिन्न खातों की बजाय एकल राज्य नोडल खाते में रखी जाती हैं। जब निधि की रिलीज का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो राज्य नोडल खाते से पीएफएमएस ट्रांजेक्शन के माध्यम से सीधे वेंडर/एजेंसी के खाते में अंतरित किए जाते हैं।
- घ. इसके अतिरिक्त, देश में महामारी की स्थिति में सुधार होने के पश्चात् मिशन की प्रगति की सामुदायिक सहभागिता निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए रूबन क्लस्टरों के लिए गहन सामाजिक-लेखा परीक्षा की योजना बनायी जा रही है।
- ड. निगरानी को और अधिक फीडबैक आधारित बनाने के लिए, क्लस्टर में संबंधित परियोजनाओं/विकासात्मक बदलावों के लिए डिजिटल तथा ऑनलाइन फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामुदायिक फीडबैक फीचर की शुरुआत प्रस्तावित है।

(डीओआरडी का.जा.सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए, दिनांक 14/06/2021)

सिफारिश (क्र.सं. 27)

समिति का यह मत है कि यदि संसद सदस्यों को परामर्शदाता के रूप में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है तो योजनाओं के क्रियान्वयन में उनके निचले स्तर के अनुभव को बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में संसद सदस्य प्रभावी रूप

से स्थानीय जनता की भावनाओं तथा परंपराओं को अभिव्यक्त करते हैं। विभिन्न योजनाओं के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर स्थानीय ज्ञान के अनुभव का उपयोग नीति निर्माण को सुदृढ़ करेगा। निरीक्षण दलों और डीपीआर बनाने वाले दलों आदि को स्थानीय मुद्दों की यथार्थता को जाने के लिए संसद सदस्यों से स्थानीय जानकारी लेने का निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। इस परिदृश्य में समिति सिफारिश करती है कि डीओआरडी को अपने परामर्शदात्री तंत्र की इस प्रकार समीक्षा करनी चाहिए ताकि संसद सदस्यों को परामर्शदात्री ढांचे में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

सरकार का उत्तर

मनरेगा : समिति की सिफारिश राज्यों के साथ आगे विचार-विमर्श के लिए नोट की गई।

पीएमएवाई-जी: दिशा (जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति) यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र है कि योजनाओं को कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जाता है। दिशा समिति की बैठकें एक ऐसा मंच प्रदान करती हैं जिसमें जिले में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की जा सकती है और संसद सदस्यों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों से बहुमूल्य जानकारी लेकर कार्यक्रमों के अधिक प्रभाव के लिए रणनीति तैयार की जा सकती है। इस समिति की अध्यक्षता माननीय संसद सदस्य करते हैं।

पीएमजीएसवाई: पीएमजीएसवाई दिशानिर्देश सड़कों के चयन और निर्माण सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जन प्रतिनिधियों और माननीय संसद सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। संसद सदस्यों के साथ परामर्श का प्रावधान डीआरआरपी को अंतिम रूप देने और वार्षिक प्रस्तावों दोनों चरणों में किया जाता है। इसके अलावा, डीपीआर तैयार करने के चरण में, डीपीआईयू स्थानीय पंचायत को शामिल करते हुए सड़क अलाइनमेंट के साथ एक ट्रांज़ेक्ट वॉक करता है। राज्य सरकारों को माननीय सांसदों, माननीय विधायकों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा पीएमजीएसवाई के तहत चल रहे और साथ ही पूर्ण किए गए कार्यों के संयुक्त निरीक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

पीएमजीएसवाई III दिशानिर्देशों के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान, जो सड़कों की योजना और चयन की प्रक्रिया के दौरान संसद सदस्यों के साथ परामर्श के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करते हैं, नीचे दिए गए हैं:

पैरा 3.6: संसद के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) को अंतिम रूप देते समय पूरे ध्यान में रखने चाहिए।

पैरा 5.5: वार्षिक प्रस्ताव प्राथमिकता के क्रम (पीसीआई के अधीन) के क्रम में सीयूसीपीएल पर आधारित होंगे। हालांकि, यह संभव है कि अनजाने में त्रुटियां या चूक हुई हों, विशेष रूप से थ्रू रूट्स के चयन में। तदनुसार, वार्षिक प्रस्तावों में सड़क कार्यों के चयन को अंतिम रूप देते समय जन प्रतिनिधियों को भी शामिल करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर पूर्ण विचार किया जाना आवश्यक है।

सीयूसीपीएल को संबंधित सांसदों के पास इस अनुरोध के साथ भेजा जाना चाहिए कि सीयूसीपीएल में से कार्यों के चयन पर उनके प्रस्ताव को जिला पंचायत के पास भेजा जाना चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि इस उद्देश्य के लिए कम से कम 15 स्पष्ट दिन दिए जा सकते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राथमिकता में उपलब्ध निधि का कुछ संदर्भ है, सीयूसीपीएल सूची को उनके पास अग्रेषित करते समय अपेक्षित प्रस्तावों का आकार संसद सदस्यों को भी बताया जा सकता है। अपेक्षित भौगोलिक विस्तार के साथ चुनाव करने के लिए जिलेवार आवंटन का संकेत दिया जा सकता है। यह आशा की जाती है कि संसद सदस्यों के ऐसे प्रस्ताव जो प्राथमिकता क्रम का पालन करते हैं, निधियों के समान आवंटन और अपग्रेड की आवश्यकता पर विचार करने के बाद निरपवाद रूप से स्वीकार कर लिए जाएंगे।

संसद सदस्यों से निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्तावों पर जिला पंचायत में पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा जो गैर-समावेशन के प्रत्येक मामले में कारण दर्ज करेगी। ऐसे प्रस्ताव जिन्हें शामिल नहीं किया जा सकता है, प्रत्येक मामले में ऐसे प्रस्तावों को शामिल न करने के कारणों सहित संसद सदस्यों को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। नोडल विभाग से वरिष्ठ स्तर पर सूचना जारी की जाए तो बेहतर होगा।

पैरा 7.1: जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन के बाद, प्रस्तावों को पीआईयू द्वारा एसआरआरडीए को अग्रेषित किया जाएगा। पीआईयू उस समय प्रोफार्मा एमपी-। और एमपी-। में संसद सदस्यों द्वारा अग्रेषित प्रस्तावों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण तैयार करेगा और प्रस्तावों के साथ भेजेगा। उन सभी मामलों में जहां किसी संसद सदस्य के प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया है, जिला पंचायत द्वारा दिए गए कारणों के आधार पर ठोस कारण बताए जाएंगे।

पैरा 7.3: राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) प्रस्तावों की जांच करेगी कि वे दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं और संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर पूरा विचार किया गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय दिशानिर्देशों के इस पहलू पर उचित ध्यान दे, मंत्रालय ने 2 जून, 2020 को राज्यों को एक नई एडवाइजरी जारी की है। अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे प्रस्तावों में कुछ सड़कों को शामिल न करने के कारणों सहित संसद सदस्य को प्राथमिकता के क्रम में प्रस्तावों की अंतिम सूची से अवगत कराएं और अपनी सिफारिशों को एनआरआईडीए/मंत्रालय को भेजे गए प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए शामिल करें।

इसके अलावा, पीएमजीएसवाई कार्यों की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने के संबंध में माननीय संसद सदस्य की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्न नियम बनाए गए हैं:-

- क. कार्यक्रम से संबंधित सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को आधारशिला स्थापना एवं उद्घाटन समारोह में यथोचित रूप से निमंत्रित किया जाना चाहिए।
- ख. समारोह का आयोजन सामाजिक कार्यक्रमों के अनुरूप प्रोटोकॉल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए विशेष रूप से माननीय केन्द्रीय मंत्रियों एवं माननीय राज्य मंत्रियों के संबंध में, और
- ग. राज्य प्रोटोकॉल के अनुसार, पीएमजीएसवाई सड़क के लिए आधारशिला रखने और सड़क का उद्घाटन माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय माननीय मंत्री या किसी गणमान्य व्यक्ति द्वारा की जाए।

इसके अलावा, पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी को बढ़ा देने के लिए, जोन/क्षेत्र के संबंधित अधीक्षक अभियंता को संबंधित संसद सदस्य और जोन/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला पंचायत प्रमुख से अनुरोध करने के लिए कहा गया है कि वे 6 माह में एक बार किसी पीएमजीएसवाई परियोजना का संयुक्त निरीक्षण करने के लिए चयन करें।

डीएवाई-एनआरएलएम:- प्रत्येक चिन्हित ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्व-सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क के अन्तर्गत शामिल किया जाना है। हाथ से मैला उठाने वाले, मानव तस्करी के शिकार, विशेष रूप से कमजोर

जनजातीय समूह (पीवीटीजी), दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), और बंधुआ मजदूर जैसे कमजोर समुदायों पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है।

लक्ष्य समूह का समावेशन एनआरएलएम के तहत समुदाय के स्तर पर गरीबों की भागीदारी पहचान की सुपरिभाषित, पारदर्शी और न्यायोचित प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। पीआईपी प्रक्रिया के माध्यम से गरीब के रूप में पहचान किए गए सभी परिवार एनआरएलएम लक्ष्य समूह हैं और कार्यक्रम के तहत सभी प्रकार के लाभों के लिए पात्र हैं।

गरीबों की भागीदारी पहचान (पीआईपी) प्रणाली के माध्यम से लक्ष्य समूह की पहचान की जाती है। पीआईपी से उत्पन्न एनआरएलएम लक्ष्य समूह (एनटीजी) को बीपीएल से अलग कर दिया जाता है। राज्यों में पीआईपी लागू करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। पीआईपी को समुदाय आधारित प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए, प्रथम पीआईपी अभ्यास प्राथमिक संघ (6-12 माह ग्राम प्रवेश पश्चात) के गठन के पश्चात आयोजित किया जाता है। ग्रामों में गरीबों की सूची में संशोधन करने के लिए नियमित अंतराल पर पीआईपी आयोजित की जाती है। पीआईपी के माध्यम से पहचान किए गए गरीबों की सूची का निरीक्षण ग्राम सभा द्वारा और अनुमोदन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। पीआईपी सूची में शामिल सभी परिवार एनआरएलएम के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने के पात्र हैं।

माननीय संसद सदस्य दिशा बैठक के माध्यम से डीएवाई-एनआरएलएम को मॉनीटर कर सकते हैं और इनपुट दे सकते हैं।

डीडीयू-जीकेवाई कौशल:- डीडीयू-जीकेवाई एक माँग आधारित योजना है जहाँ ग्रामीण विकास मंत्रालय में एनआरएलएम की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा राज्य की कार्य योजना का अनुमोदन किया जाता है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से ग्रामीण गरीब युवाओं का कौशल प्रशिक्षण के लिए राज्य प्रस्ताव आमंत्रित करता है और मौजूदा कौशल अंतर और अन्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पीआईपी को प्रशिक्षण लक्ष्य प्रदान करते हैं। ऐसी कोई डीपीआर या परियोजना ग्रामीण विकास विभाग में अंतिम रूप देने/अनुमोदन के लिए प्राप्त नहीं हुई है। निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) गठित की गई है। इस समिति की अध्यक्षता संसद सदस्य करते हैं और यह डीडीयू-जीकेवाई सहित ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यों की निगरानी करती है।

एनएसएपी:- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें बुजुर्गों, विधवाओं, और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन

करने वाले परिवारों के दिव्यांग व्यक्ति को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनएसएपी के तहत योजनाओं का कार्यान्वयन देश के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी किया जाता है। योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान, स्वीकृति, और लाभ का संवितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। एनएसएपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई आवेदक एनएसएपी की किसी भी योजना में आवेदन करता है और आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, ऐसे मामले में अस्वीकृति का आधार दर्ज किया जाना चाहिए और लाभार्थी को ग्राम पंचायत/ नगरपालिका को प्रति देते हुए सूचित किया जाना चाहिए। ऐसे आवेदक प्रथम अपील अपीलीय प्राधिकारी और दूसरी अपील (समीक्षा) पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेज सकते हैं। अपीलीय और समीक्षा करने वाले दोनों प्राधिकरणों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा और उनकी भूमिका को इस प्रकार प्रचारित किया जाना चाहिए कि लाभार्थी, जन प्रतिनिधि सीएसओ को जानकारी हो।

एसपीएमआरएम:- कार्यक्रम विभाग स्थायी समिति के सुझावों को स्वीकृत करता है। स्थायी समिति के प्रतिष्ठित सदस्यों के फीडबैक के आधार पर एसपीएमआरएम लोक सभा और राज्य सभा दोनों के स्थानीय संसद सदस्यों, स्थानीय विधान सभा सदस्यों और संबंधित पीआरआई सदस्यों के नेतृत्व में **जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलएसी)** का गठन कर रही है। यह डीएलएसी जिला कलेक्टर/ उपायुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के लिए (डीएलसी) राज्य संस्थागत फ्रेमवर्क में मौजूदा प्रावधान के अतिरिक्त होगा। यह डीएलएसी एसपीएमआरएम की आयोजना, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा।

इसके अलावा, माननीय मंत्री (आरडी, पीआर, एंड एफ डब्ल्यू) ने रूबन क्लस्टरों के विकास में माननीय संसद सदस्य की सक्रिय भागीदारी और दिशा-निर्देश के लिए, नवंबर 2020 में सभी संसद सदस्यों जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में रूबन क्लस्टर हैं, को पत्र लिखा है।

(डीओआरडी का.जा.सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए, दिनांक 14/06/2021)

अध्याय तीन

सिफारिशों जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए

समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

शून्य

ग्रामीण विकास विभाग का.जा.सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए, दिनांक 14/06/2021

अध्याय चार

सिफारिशों जिनके संबंध में सरकार के उत्तर

समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं

सिफारिश (क्र.सं.. 2)

जांच की प्रक्रिया के दौरान, समिति ने पाया कि मनरेगा, पीएमजीएसवाई जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पंचायत स्तर पर तकनीकी श्रमशक्ति का अत्यधिक अभाव है जिससे कारण इन योजनाओं की प्रगति पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही नीतियां लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में भी विलंब होता है। अतः इस बात की आवश्यकता को समझते हुए कि निचले स्तर पर विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाया जाना चाहिए, समिति ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध करती है कि वह इस मामले की अत्यंत गंभीरतापूर्वक जांच करें तथा नोडल निकायों से भरसक समन्वय स्थापित कर आवश्यकता अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति करे ताकि नीतियों के कार्यान्वयन में अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।

सरकार का उत्तर

"मनरेगा:- महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, राज्य सरकार जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता और कार्यक्रम अधिकारियों को इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यथावश्यक कर्मचारी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी।

केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रत्येक पंचायत के लिए "कनिष्ठ तकनीकी सहायक" (जिन्हें पंचायत तकनीकी सहायक/तकनीकी सहायक भी कहा जाता है) नियुक्त करने के निदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने राज्यों की मांग के अनुसार "बेयर फुट टैक्नीशियन" (बीएफटी) प्रशिक्षित किए हैं। सिविल कार्य संबंधी तकनीकी मामलों का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और ऐसे बीएफटी कनिष्ठ अभियंताओं/जेटीए को उनके तकनीकी कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान कर रहे हैं। पंचायतों के लिए बीएफटी उपलब्ध हैं।

तकनीकी सहायकों और बीएफटी सहित तकनीकी कार्मिकों को भुगतान की लागत राज्यों को रिलीज़ की जाने वाली निधियों के सामग्री घटक में शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य सरकार को यह निदेश दिया गया है कि महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत जिन राज्यों का वार्षिक व्यय 1000 करोड़ रुपए से अधिक है, उन राज्यों के मामले में मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ गठित किया जाए। जिन मामलों में व्यय 1000 करोड़ रुपए से कम है, उन मामलों में प्रकोष्ठ की अध्यक्षता अधीक्षक अभियंता रैंक के अधिकारी करेंगे। ऐसे

पद पूर्णकालिक होंगे और उन्हें राज्य सरकार के अन्य तकनीकी विभागों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाएगा।

केंद्र सरकार ने निदेश दिया है कि उप-राज्य/डिविजन स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महात्मा गाँधी नरेगा योजना कार्यों के निष्पादन से संबंधित सभी इंजीनियरी कार्यकलापों के निरीक्षण की पूर्णकालिक जिम्मेदारी क्रमशः नियमित कार्यपालक इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, कनिष्ठ इंजीनियर को सौंपी गई हो।

फिलहाल, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर कुल 19,103 कनिष्ठ इंजीनियर/सहायक इंजीनियर और ग्राम पंचायत में 45,010 तकनीकी सहायक/ग्राम पंचायत तकनीकी सहायक (कुल- 64,113) कार्यरत हैं।

पीएमएवाई-जी:- प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क (एफएफआई) के अनुसार, हालांकि मकान का निर्माण लाभार्थी को करना है लेकिन राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थी को इस प्रक्रिया में अपेक्षित मार्गदर्शन प्राप्त हो और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी की जाए कि मकान का निर्माण कार्य संपन्न हो। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्यान्वयन, निगरानी और निर्माण कार्य की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन एकक (पीएमयू) की स्थापना करेंगे।

इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक मकान को ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता (ग्राम रोजगार सहायक, भारत निर्माण स्वयंसेवी, एसएचजी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि या किसी अन्य ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता) को टैग किया जाना है, जिसका कार्य लाभार्थी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना और निर्माण कार्य में सहायता कराना है।

इन कार्मिकों के पारिश्रमिक के खर्च की पूर्ति इस योजना के प्रशासनिक व्यय से की जाती है। वर्ष 2016 में इस योजना की शुरुआत के समय इसकी प्रशासनिक निधि 4% थी, जिसे बाद में कम करके 2% कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप संगत स्तरों पर कार्मिकों की पूर्ण भर्ती करना कठिन हो गया है।

प्रशासनिक लागत को 2% से बढ़ाकर 4% करने का प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर क्षेत्रीय स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती करने में आसानी होगी।

पीएमजीएसवाई:- पीएमजीएसवाई कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कर रहे हैं। राज्य सरकारों के कार्यान्वयनकर्ता विभाग के ब्लॉक स्तरीय/सब-डिविजन स्तरीय अधिकारी पीएमजीएसवाई सड़कों का कार्यनिष्पादन करते हैं और जिला-स्तरीय/सर्कल स्तरीय अधिकारी इन सड़कों का पर्यवेक्षण करते हैं। पीएमजीएसवाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन इसी शासकीय व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन प्रणाली (क्यूसीबीएस) का विधिवत अनुपालन करते हुए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पुल और सड़क कार्यों की डीपीआर तैयार करने के लिए अर्हताप्राप्त परामर्शदाताओं से आउटसोर्सिंग के माध्यम से डीपीआर तैयार कराने की अनुमति दी है। राज्य सरकारों को सड़कों की गुणवत्ता और निर्माण कार्यकलापों की रफ्तार में सुधार करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन परामर्शदाता (पीआईसी) नियुक्त करने की अनुमति भी दी गई।

पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए पीआईयू स्तर और राज्य स्तर पर उपलब्ध कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा पूर्व-अधिकार-प्राप्त समिति और अधिकार-प्राप्त समिति की बैठकों के दौरान और मासिक समीक्षा बैठकों में भी की जा रही है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने विभागीय अधिकारियों के स्थानांतरण या राज्य सरकारों के अन्य इंजीनियरी संगठनों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ब्लॉक स्तर/जिला स्तर पर सभी रिक्त पदों को भरें। इसके अतिरिक्त, राज्यों को राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) और राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्टों के राज्य स्तर पर विश्लेषण के लिए अर्हताप्राप्त कार्मिकों को आउटसोर्स करने की अनुमति भी दी गई है। कार्यों के निष्पादन की रफ्तार की निगरानी विभिन्न क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जाती है और एसक्यूएम एवं एनक्यूएम के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी भी की जाती है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत डीपीआर की तैयारी, कार्य प्रबंधन, ठेका प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन, पुलों के निर्माण और सड़क सुरक्षा इत्यादि से जुड़े विभिन्न अधिकारियों को सीआरआरआई, आईएचई, एआईटीडी, आईआईटी, एनआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं और विभिन्न प्रतिष्ठित इंजीनियरी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। मुख्य अभियंताओं से लेकर कनिष्ठ अभियंताओं तक सभी श्रेणियों के अधिकारियों के लिए जिला स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर भी अनुभवी संकाय के माध्यम से आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों को भरने और सड़क एवं पुल कार्यों का दक्षतापूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्यान्वयन/निष्पादन करने के लिए पीएमजीएसवाई कार्यक्रम में शामिल कर्मचारियों का क्षमता विकास भी करने के निरंतर प्रयास राज्य सरकारों के माध्यम से कर रहा है।

डीएवाई-एनआरएलएम:- मार्च, 2021 तक, डीएवाई-एनआरएलएम का कार्यान्वयन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 6517 ब्लॉकों में किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में गरीबों की आजीविकाओं का संवर्धन करने के उद्देश्य से 69.08 लाख स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देकर 7.52 करोड़ ग्रामीण परिवारों के साथ आजीविका कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं। डीएवाई-एनआरएलएम में ग्राम स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए अनुभवी सामुदायिक व्यवसायी को सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) के रूप में तैनात करने की नीति अपनाई गई है। कुल 3.30 लाख सीआरपी अधिकांशतः एसएचजी संघ द्वारा तैनात किए गए हैं।

डीडीयू-जीकेवाई कौशल:- डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा नियुक्त की जाने वाली परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) से कराया जा रहा है। राज्यों में डीडीयू-जीकेवाई का कार्यान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)/राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) हैं। डीडीयू-जीकेवाई में पंचायत स्तर पर कर्मिकों की कोई आवश्यकता या प्रावधान नहीं है।

एनएसएपी:- एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत, नए लाभार्थियों के निर्धारण/सत्यापन/चयन/पंजीकरण और लाभार्थियों के डाटा के डिजिटलीकरण, पेंशनों और अन्य वित्तीय लाभों इत्यादि के डीबीटी भुगतान के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा और सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) कार्यकलापों के लिए भी प्रशिक्षित कर्मिकों की आवश्यकता होती है। राज्य सरकारें इन सभी कार्यकलापों को ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मियों के माध्यम से करती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वर्ष के दौरान रिलीज़ की गई एनएसएपी निधियों के 3% का उपयोग एनएसएपी के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन को सरल एवं कारगर बनाने हेतु प्रशासनिक खर्चों के लिए करने की अनुमति है। इन प्रशासनिक निधियों का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों के नोडल अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है। राज्यों को इस विषय में पहले ही सूचित किया जा चुका है।

एसपीएमआरएम:- एसपीएमआरएम के अंतर्गत, मिशन के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार, क्लस्टर स्तर पर दो और जिला स्तर पर तीन व्यवसायियों को नियुक्त किया जाना होता है - जो क्लस्टर में शामिल पंचायतों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे।

फिलहाल, ऐसे 1328 आवश्यक व्यवसायियों में से 302 को मंत्रालय द्वारा नियमित अनुवर्तन के बाद भर्ती किया गया है। नियमित अनुस्मारकों के बाद भी, 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जिले या क्लस्टर में किसी व्यवसायी को नियुक्त नहीं किया है।

2. इसीलिए, इस मिशन के अंतर्गत पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायता का प्रावधान चुनौती बना हुआ है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसी भर्ती के लिए पर्याप्त प्रशासनिक निधियों की अनुपलब्धता के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं।

3. इन तकनीकी सहायता रिक्तियों को भरने के लिए मंत्रालय ने तीन सूत्रीय कार्यसूची तैयार की है, जिसका ब्योरा आगे दर्शाया गया है और इस मुद्दे को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

- i. आगामी 2 वित्तीय वर्षों के लिए अतिरिक्त प्रशासनिक बजट के रूप में 60 लाख रुपए/क्लस्टर का प्रावधान (समग्र बजट परिव्यय में किसी प्रकार की वृद्धि के बिना व्यय वित्त समिति के ज्ञापन में प्रस्तावित)। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिला और क्लस्टर स्तर पर शेष आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे।
- ii. नीति आयोग ने सिफारिश की है कि क्लस्टर में शामिल पंचायतों को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और गहन तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्लस्टर स्तर पर रूर्बन फेलो की तैनाती की जाए। मिशन के इनोवेशन फंड के माध्यम से यह कार्य करने का प्रस्ताव किया गया है।
- iii. राज्यों द्वारा नामांकन के माध्यम से मार्गदर्शक संस्थाओं (क्षेत्रीय आयोजना और आर्थिक विकास के क्षेत्र में भारत की अग्रणी विशेषज्ञ संस्थाओं) को शामिल किया जा रहा है (अब तक 28 प्रतिष्ठित संस्थान)। ये संस्थाएं स्पाशियल प्लानिंग और मिशन से संबंधित अन्य कार्यकलापों के लिए पंचायतों और क्लस्टरों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएंगी।

(डीओआरडी का. ज्ञा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक:14/06/21)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया रिपोर्ट के अध्याय 1 के पैरा नंबर 8 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 4)

पिछले वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करते हुए समिति कुशल तथा अर्ध कुशल कामगारों की मजदूरी तथा सामग्री के लिए निर्धारित धनराशि के 40 प्रतिशत भाग को जारी करने में हो रही देरी को नोट करती है। मनरेगा भारत सरकार का एक

अत्यंत महत्वपूर्ण कल्याणोन्मुखी कार्यक्रम है जिसके माध्यम से काम करने के इच्छुक किंतु बेरोजगार ग्रामीणों को इस कार्यक्रम के तहत आजीविका प्राप्त कर अपना जीवन स्तर सुधारने का अवसर मिलता है। आर्थिक मंदी के दौर में विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग में वृद्धि हुई है। तथापि, मनरेगा के अंतर्गत कुशल/अर्ध कुशल कामगारों के लिए निधियां जारी करने में हो रहा असाधारण विलंब हतोत्साहित करने वाला है तथा योजना की अंतर्विहित भावना के अनुरूप नहीं है। यह नोट किया गया है कि इसी कारण से कुशल/अर्ध कुशल श्रमिक मनरेगा के तहत काम लेने में रुचि नहीं दिखाते जिसके कारण न केवल काम प्रभावित होता है बल्कि ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी प्रभावित होता है। अतः समिति का विचार है कि विभाग अपने दृष्टिकोण में उचित परिवर्तन लाए तथा यह सुनिश्चित करे कि उक्त धनराशि का 40 प्रतिशत हिस्सा समय पर जारी किया जाए ताकि मजदूरी का भुगतान समय पर किया जाए और कार्य भी समय पर पूरा हो जाए। इस प्रकार समिति विभाग से पुरजोर आग्रह करती है कि वह अपनी कमियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे तथा धनराशि को समय पर जारी करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए।

सरकार का उत्तर

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गाँधी नरेगा) मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की रिलीज़ निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और केंद्र सरकार काम की मांग को ध्यान में रखते हुए निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय "स्वीकृत श्रम बजट", प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की रफ्तार, यदि पिछले वर्ष की कोई देनदारियां लंबित हों तो उन देनदारियों, राज्यों द्वारा संगत दस्तावेजों की समय पर प्रस्तुति और समग्र निष्पादन के आधार पर समय-समय पर दो खेपों में निधियां रिलीज़ करता है, जिनमें से प्रत्येक खेप में एक या एक से अधिक किस्में शामिल होती हैं। (डीओआरडी का. ज्ञा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक:14/06/21)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया रिपोर्ट के अध्याय 1 के पैरा नंबर 11 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 5)

एक अन्य महत्वपूर्ण और बार-बार उठाया जाने वाला मुद्दा जिस पर समिति का ध्यान सदैव आकर्षित होता है वह है अलग-अलग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी की विद्यमान दरों में समानता न होना। यह समझ से परे है कि यह कैसे

संभव है कि एक योजना जिसके तहत काम करने के इच्छुक ग्रामीणों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दिए जाने का प्रावधान है, में मजदूरी के भुगतान हेतु पूरे देश में अलग-अलग मानदंड हों। समिति ने यह भी नोट किया कि संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (घ) जिसमें राज्य को कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहा गया है, के अंतर्गत समान काम के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन का निर्देश दिया गया है। अतः इस निर्देश के तहत मनरेगा के अंतर्गत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मजदूरी दरें तय नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 39 के दृष्टिगत तथा मजदूरी में समानता लाने के लिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी अंतर के किया जाना चाहिए ताकि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा के तहत मजदूरी में समानता लाई जा सके।

सरकार का उत्तर

महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जिसमें आजीविका सुरक्षा अर्थात नियमित रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ग्रामीण परिवारों को आजीविका का तात्कालिक विकल्प उपलब्ध कराया जाता है।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 योजना के लिए अधिनियम की धारा 6 में मजदूरी दर अधिदेशित है।

अधिनियम की धारा 6 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

6. मजदूरी दर - (1) न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम, 1948 (1948 का 11) में किसी बात के होते हुए, भारत सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकती है:

बशर्ते अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मजदूरी दर विनिर्दिष्ट की जाए:

बशर्ते इस तरह की किसी अधिसूचना के तहत समय-समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर प्रति दिन साठ रुपए से कम नहीं होगी।

(2) किसी राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी दर निर्धारित किए जाने तक, न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को उस क्षेत्र के लिए लागू मजदूरी दर माना जाएगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) की धारा 6(1) के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को महंगाई की प्रतिपूर्ति करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में बदलाव के आधार पर प्रत्येक वर्ष मजदूरी दर में संशोधन करता है। चूंकि सीपीआई (एएल) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग होता है, इसलिए मजदूरी दर भी अलग-अलग होती है।

मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से लागू की जाती है।

इसके अलावा, इस अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुसार -पुरुषों और महिलाओं को समान मजदूरी का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं -

पैरा 17: राज्य सरकार, बिना किसी लिंग भेद के, मजदूरी को किए गए कार्य की मात्रा से जोड़ेगी और अलग-अलग तरह के कार्यों और अलग-अलग मौसमों के लिए समय और गति अध्ययनों के बाद निर्धारित की गई तथा आवधिक रूप से संशोधित की गई दरों की ग्रामीण अनुसूची के अनुसार इसका भुगतान किया जाएगा।

पैरा 18. महिलाओं, वृद्ध दिव्यांगजनों और कमजोरी लाने वाली बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए दर की अलग अनुसूची तैयार की जाएगी ताकि उत्पादक कार्य के माध्यम से उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके।

पैरा 19(क) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दरों की अनुसूची तैयार की जाएगी ताकि आठ घंटे, जिसमें एक घंटे का विश्राम शामिल है, काम करने वाले किसी वयस्क व्यक्ति को निर्धारित मजदूरी दर के बराबर मजदूरी मिल सके।

(डीओआरडी का.जा.सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक:14/06/21)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया रिपोर्ट के अध्याय 1 के पैरा नंबर 14 देखें)

सिफारिश(क्रम सं. 17)

गंभीर चिंता के साथ, समिति ने पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाओं के टेंडर प्राप्त करने के लिए बोली लगाने के चरण में ठेकेदारों के द्वारा छलकपट के व्यापक प्रचलित व्यवहार पर ध्यान दिया है जिसमें न्यूनतम बोली राशि से 25-30 प्रतिशत कम की बोली लगाकर ठेका लिया जाता है। दोषी अधिकारियों के साथ मिलकर अनैतिक ठेकेदारों द्वारा यह आपत्तिजनक रवैया पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ऐसे ठेकेदार जो शुरू में कम दरों पर बोली प्राप्त करते हैं, वे मुनाफाखोरी की आड़ में अपने मुनाफे के मार्जिन को बढ़ाने के लिए सड़कों की गुणवत्ता को और अधिक कम कर देते हैं। यह एक व्यापक आपराधिक रणनीति है जो योजना की प्रभावशीलता के लिए सही नहीं है। समिति का विचार है कि ग्रामीण विकास विभाग को कम से कम एक तंत्र तैयार करना चाहिए जिसके द्वारा बोली और वास्तविक बोली के बची के अंतर के बराबर राशि घटक की एक निश्चित मात्रा को सुरक्षा के रूप में अलग रखा जाए और उसे यह सुनिश्चित करने के बाद ही जारी किया जाए कि निर्मित सड़क गुणवत्ता मानकों को पूरा करती है। इसलिए, समिति ग्रामीण विकास विभाग से पुरजोर सिफारिश करती है कि वह पीएमजीएसवाई में गिरावट को रोकने के लिए सभी उपाय करने तथा सड़कों की गुणवत्ता आश्वासन के लिए सुरक्षा घटक को शामिल करने हेतु इसके प्रावधान की समीक्षा करे।

सरकार का उत्तर

उन मानक बोली दस्तावेज, कार्यक्रम दिशानिर्देशों, सामान्य वित्तीय नियमावली और सीवीसी दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य प्रदान किए जाते हैं, जो उन बोलीदाताओं को कार्य को आवंटित करने की अनुमति देते हैं जिनकी बोली का मूल्य सबसे कम पाया गया है।

एसबीडी और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

पीएमजीएसवाई दिशानिर्देश :

पैरा 11.1

परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने और तकनीकी स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात निष्पादन एजेंसी निविदाएं आमंत्रित करेगी। प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निविदा के

लिए सुनिर्धारित प्रक्रिया का सभी परियोजनाओं के लिए पालन किया जाएगा। इस प्रकार एसटीए द्वारा छंटनी की गई और मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई सभी परियोजनाओं की निविदा दी जाएगी और एनआरआईए के पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य सभी निविदाओं के लिए एनआरआईए द्वारा निर्धारित मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) का पालन करेंगे।

पैरा 11.2

चूंकि पीएमजीएसवाई समय और गुणवत्ता पर अधिक जोर देती है, इसलिए राज्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और बोली क्षमता का वास्तविक आकलन करने के कदम उठाएंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी निविदा नोटिस को ओएमएमएस के अंतर्गत इंटरनेट पर डाला जाए। एसबीडी के प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए बोली क्षमता का केंद्रीय रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य एसआरआईए को प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में निविदाएं आमंत्रित करने और निर्णय लेने का अधिकार दे सकते हैं।

पैरा 11.3

निविदा और ठेका संबंधी प्रक्रिया और समयावधि मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के अनुसार होगी (कृपया पैरा 13.1 भी देखें)। राज्य हर समय ओएमएमएस निविदा मॉड्यूल को अद्यतन करेगा ताकि निविदा दस्तावेजों को डाउनलोड किया जा सके। इसमें शामिल किए गए ठेकों का विवरण भी तुरंत डाटाबेस में दर्ज किया जाएगा।

एसबीडी के प्रावधान :

पैरा 25: बोलियों की जांच और उत्तरदायित्व का निर्धारण

25.1: "बोलियों के भाग-I" के विस्तृत मूल्यांकन के दौरान, नियोक्ता यह निर्धारित करेगा कि प्रत्येक बोली (क) खंड 3 और 4 में परिभाषित पात्रता मानदंडों को पूरा करती है या नहीं; (ख) दस्तावेज पर समुचित रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं; (ग) आवश्यक प्रतिभूतियों के साथ हैं; और (घ) बोली लगाने वाले दस्तावेजों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदेही है। "बोलियों के भाग- II" के विस्तृत मूल्यांकन के दौरान, बोली के उत्तरदायित्व को बोली की शेष शर्तों के संबंध में अर्थात् मात्राओं के मूल्य बिल, तकनीकी विनिर्देशों और रेखाचित्रों के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

25.2 : एक पर्याप्त रूप से उत्तरदायी "वित्तीय बोली" वह होती है जो सामग्री में परिवर्तन या रुकावट किए बिना बोली लगाने वाले दस्तावेजों के सभी नियमों, शर्तों और विनिर्देशों के अनुरूप होती है। सामग्री में परिवर्तन या रुकावट वह होता है (क) जो किसी भी तरह से कार्य के

दायरे, गुणवत्ता या निष्पादन को प्रभावित करता है; (ख) जो किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से बोली दस्तावेजों के साथ असंगत, नियोक्ता के अधिकारों या ठेका के तहत बोलीदाता के दायित्वों को सीमित करता है; या (ग) जिनके सुधार से पर्याप्त रूप से उत्तरदायी बोलियां प्रस्तुत करने वाले अन्य बोलीदाताओं की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

25.3: यदि कोई बोली पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं है, तो इसे नियोक्ता द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इसे बाद में गैर-अनुरूप परिवर्तन या रुकावट में सुधार या वापसी या आरक्षित करके उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

बोलियों का मूल्यांकन और तुलना करना

पैरा 26.1: नियोक्ता केवल उन बोलियों का मूल्यांकन और तुलना करेगा जिन्हें आईटीबी के खंड 25 के अनुसार पर्याप्त रूप से उत्तरदायी होने के लिए निर्धारित किया गया है।

पैरा 26.2 : बोलियों के मूल्यांकन में, नियोक्ता प्रत्येक बोली के लिए आईटीबी के उप-खंड 21 के अनुसार प्रस्तावित किसी अन्य स्वीकार्य भिन्नता, अंतर या मूल्य संशोधनों के लिए उचित समायोजन करने के माध्यम से बोली मूल्य में समायोजन करते हुए मूल्यांकित बोली मूल्य का निर्धारण करेगा।

पैरा 26.3: यदि सफल बोलीदाता की बोली ठेके के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्य की लागत इंजीनियर के अनुमान में अत्यधिक असंतुलित है, तो नियोक्ता बोलीदाता को उन मूल्यों की आंतरिक संगतता को दर्शाने के लिए मात्राओं के बिल की किसी भी या सभी मदों के लिए विस्तृत मूल्य विश्लेषण प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है। मूल्य विश्लेषण के मूल्यांकन के पश्चात, नियोक्ता यह अपेक्षा रख सकता है कि आईटीबी के खंड 30 में निर्धारित निष्पादन सुरक्षा की राशि को सफल बोलीदाता के व्यय से एक स्तर तक बढ़ाया जाए ताकि ठेके के अंतर्गत सफल बोलीदाता की चूक की स्थिति में नियोक्ता को वित्तीय हानि से बचाया जा सके। निष्पादन सुरक्षा की बढ़ी हुई राशि नियोक्ता के विवेकाधिकार से तय की जाएगी, जो बोलीदाता के लिए अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक होगी।

ठेका प्रदान करने का मानदंड :

पैरा 27.1: आईटीबी के खंड 30 के अध्यक्षीन, नियोक्ता उस बोलीदाता को ठेका प्रदान करेगा जिसकी बोली निर्धारित की गई है: (i) बोली दस्तावेजों के लिए काफी अधिक उत्तरदायी हो और जिसने सबसे कम मूल्यांकन बोली मूल्य की पेशकश की है, बशर्ते कि ऐसे बोलीदाता को (क) आईटीबी के खंड 3 के उपबंधों के अनुसार पात्र होना निर्धारित किया गया हो, और (ख)

आईटीबी के खंड 4 के उपबंधों के अनुसार योग्य हो; और (ii) उसके बोली मूल्य के हिसाब से समायोजित उपलब्ध बोली क्षमता के भीतर होना चाहिए जिसका मूल्यांकन विचाराधीन पहले खोले गए किसी भी पैकेज में सबसे कम के रूप में किया गया हो।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) और कार्यक्रम दिशानिर्देश अनुमानित मूल्य से कम राशि को उद्धृत करने को निषेध नहीं करते हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी हित की रक्षा की जाए इसके लिए मानक बोली दस्तावेज में यह निर्धारित किया गया है कि यदि सफल बोलीदाता की बोली ठेके के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्य की लागत इंजीनियर के अनुमान में अत्यधिक असंतुलित है, तो नियोक्ता बोलीदाता को उन मूल्यों की आंतरिक संगतता को दर्शाने के लिए मात्राओं के बिल की किसी भी या सभी मदों के लिए विस्तृत मूल्य विश्लेषण प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है। मूल्य विश्लेषण के मूल्यांकन के पश्चात, नियोक्ता यह अपेक्षा रख सकता है कि आईटीबी के खंड 30 में निर्धारित निष्पादन सुरक्षा की राशि को सफल बोलीदाता के व्यय से एक स्तर तक बढ़ाया जाए ताकि ठेके के अंतर्गत सफल बोलीदाता की चूक की स्थिति में नियोक्ता को वित्तीय हानि से बचाया जा सके। निष्पादन सुरक्षा की बढ़ी हुई राशि नियोक्ता के विवेकाधिकार से तय की जाएगी, जो बोलीदाता के लिए अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक होगी।

निविदा/खरीद की प्रक्रिया राज्यों द्वारा की जाती है। यदि प्राप्त बोलियां एक निश्चित सीमा से नीचे हैं तो राज्यों को बढ़ी हुई निष्पादन गारंटी मांगने का प्रावधान करना होगा। इसके अतिरिक्त यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह 5 साल की अवधि तक सड़क का रखरखाव करे। मंत्रालय रखरखाव कार्यों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली (ई-मार्ग) लागू कर रहा है, जिसमें सभी भुगतान इस प्रणाली के माध्यम से किए जाने हैं। इससे दोष सुधार दायित्व अवधि के दौरान रखरखाव कार्य में और सुधार होगा।

ठेकेदार द्वारा सड़क की खराब गुणवत्ता के निर्माण के मुद्दे से निपटने के लिए पीआईयू स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र पहले से ही मौजूद है। इसके अतिरिक्त एनआरआईए के मानक बोली दस्तावेज में ऐसे ठेकेदार जो बोली दस्तावेज में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार काम को पूरा नहीं करते हैं, को ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान है।

(डीओआरडी का.जा.सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक: 14/06/21)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया रिपोर्ट के अध्याय 1 के पैरा नंबर 23 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 19)

किसी भी कल्याणोन्मुखी योजना की सफलता निचले स्तर पर उसके क्रियान्वयन के परिणाम पर निर्भर करती है न कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। समिति इस बात को पूर्णतः मानती है लेकिन इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त करती है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यनिष्पादन अच्छा नहीं रहा। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर सड़कों का निर्माण निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है और निर्माण कार्य तथा माल की गुणवत्ता में कमी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनी सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है और ये सड़कें पांच वर्ष की वारंटी की अवधि तक अच्छी स्थिति में नहीं रह पाएंगी। समिति नोट करती है कि आरंभ में निर्माण की गुणवत्ता और बाद के रख-रखाव संबंधी दो अलग-अलग मुद्दे सामने आए और दोनों का कड़ाई से विनियमन किए जाने की आवश्यकता है। इस परिदृश्य में समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि डीओआरडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएमजीएसवाई के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित गुणवत्ता संबंधी मानकों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और बनाई गई सड़कें मजबूत हैं। इसके अतिरिक्त, डीओआरडी से अपेक्षा की जाती है कि नोडल एजेंसियों के साथ उपयुक्त समन्वय करे और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनाई गई सड़कों के रख-रखाव की उपयुक्त अपेक्षित निगरानी करे।

सरकार का उत्तर

पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा कम से कम 10 वर्षों के डिजाइन लाइफ के साथ किया जाता है। पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मानक बोली दस्तावेज के अनुसार, सभी पीएमजीएसवाई सड़क कार्यों को उसी ठेकेदार के साथ निर्माण संविदा के साथ प्रारंभिक पांच वर्ष की रखरखाव संविदाओं में शामिल किया जाता है। संविदा को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बजट में रखरखाव निधि प्रदान करने की आवश्यकता होती है और ये एक अलग रखरखाव खाते में राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों के (एसआरआरडीए)नियंत्रण में रखी जाती है। निर्माण के 5 वर्ष की समाप्ति पर, पीएमजीएसवाई सड़कों को समयसमय पर - र नवीनीकरण सहितचक्र के अनुसा 5 वर्ष के रखरखाव की क्षेत्रीय रखरखाव संविदाओं के तहत रखा जाना आवश्यक है।

दोष सुधार दायित्व अवधि के दौरान (सड़क कार्य पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष) सड़कों के रखरखाव पर अधिकध्यान केंद्रित करने के उपाय के रूप में और पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव की सुपुर्दगी को सुव्यवस्थित करने के लिए, सभी राज्यों में ईमार्ग-

लागू किया गया है। ईमार्ग- एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग सभी राज्यों द्वारा किया जाता है, जो पीएमजीएसवाई के कार्यों के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष तक रखरखाव और सड़कों के अच्छी स्थिति में रखरखाव को सुनिश्चित करता है। पूरे किए गए कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक सार्वभौमिक प्रणाली सुनिश्चित करते हुए, सभी राज्यों में ईमार्ग- लागू किया गया है। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में पीआईयू की उत्तरदेही बढ़ाने के लिए गुणवत्ता निगरानी की प्रणाली और प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार किया जाता है।

ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की निगरानी के लिए, पीएमजीएसवाई III के दिशानिर्देशों में यह निर्धारित है कि पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित अपग्रेड की गई सड़कों के रखरखाव के लिए/ प्रारंभ में पांच वर्षों के नियमित रखरखाव के लिए और आवश्यकता के अनुसार आवधिक नवीनीकरण सहित अगले पांच वर्ष के नियमित रखरखाव के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने हेतु संबंधित राज्य में पीएमजीएसवाई III प्रारंभ करने से पहले राज्यों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

पीएमजीएसवाई के तहत डीएलपी और डीएलपी पश्चात सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पीआरसी बैठक, ईसी और पूर्व ईसी बैठकों, मासिक समीक्षा और अन्य बैठकों के दौरान, यह नियमित रखरखाव, लंबाई नवीनीकरण और किए गए व्यय के मामले में राज्यों के साथ समीक्षा का केंद्र बिंदु बन गया है।

एनआरआईडीए ने आईएलओ के सहयोग से ग्रामीण सड़कों की रखरखाव नीति के विकास के लिए एक नीतिगत रूपरेखा तैयार की है। राज्यों के लिए एक मार्गदर्शन नोट के साथ नीतिगत रूपरेखा को राज्यों के साथ साझा किया गया है क्योंकि ग्रामीण सड़क रखरखाव नीति को राज्य स्तर पर अपनाने और अधिसूचित करने की आवश्यकता है। नीति और मार्गदर्शन नोट राज्यों की सड़क एजेंसियों को ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की अपेक्षाओं और ग्रामीण सड़कों के सृजित नेटवर्क को बनाए रखने की राज्यों के इच्छा के विषय में स्पष्ट समझ रखने में सहायक होगा। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर सभी राज्यों क्षेत्रों संघ राज्य/ ने ग्रामीण सड़क रखरखाव नीति अधिसूचित की है। तथापि, यह देखा गया है कि राज्य सरकारें अपने बजट में पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं कर रही हैं और परिणामस्वरूप, जनता के भारी निवेश से बनी सड़कें उचित रखरखाव के अभाव में खराब हो जाती हैं और भारी लागत के साथ इन्हें प्रतिस्थापित करने/पुनः/ सड़क बनाने की आवश्यकता होती है।

अप्रैल 2015 से 60:40 और 90:10 के निधि साझाकरण तंत्र की शुरुआत से राज्यों पर बोझ बढ़ गया है। इसके अलावा, राज्य रखरखाव की पूरी लागत, उपयोगिता स्थानांतरण और वन मंजूरी की लागत भी वहन कर रहे हैं। प्रस्ताव में उल्लिखित व्यय के अलावा, यदि कोई हो, लागत में वृद्धि भी संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के बजटीय संसाधनों से वहन की

जाती है। इसके अलावा, पीएमजीएसवाई के तहत और अधिक सड़कों के निर्माण और पहले से निर्मित सड़कों की डीएलपी के पूरा होने से राज्यों पर रखरखाव की जिम्मेदारी बढ़ रही है।

राज्यों पर निर्माण और रखरखाव के बढ़ते दायित्व के कारण, राज्य सरकारें अपने बजट में पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं कर पा रही हैं।

आज तक 4,123.13 करोड़ रूपए वर्ष) 2016-17 से 2020-21 तक(राज्यों संघ राज्य/क्षेत्रों क्षेत्रोंसंघ राज्य/सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों)को, जिन्होंने उन्हें आवंटित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त किया है) को वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में जारी किए गए हैं। ये निधियां विशेष रूप से पीएमजीएसवाई के तहत पहले से निर्मित सड़कों के आवधिक रखरखाव के लिए हैं।

गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, क्षेत्र में कोविड स्थिति के कारण, 15,000 एनक्यूएम निरीक्षण और 85,000 एसक्यूएम निरीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- पूर्व में पूरी की गई सड़क की लंबाई की तुलना में प्रत्येक 5 किमी के खंड पर एसक्यूएम निरीक्षण किया जा रहा है।
- 49 नए एनक्यूएम को पैनल में शामिल किया गया है और एनक्यूएम की संख्या और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- पुलों के निरीक्षण के लिए विशिष्ट एनक्यूएम और एसक्यूएम को प्रतिनियुक्त किया जाता है।
- भुगतान से पहले क्षेत्रीय प्रयोगशाला के लिए जियोटैग की गई तस्वीरों को अपलोड - करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का भुगतान कोर जांच परिणामों के सत्यापन के बाद ही किया जाता है।
- एसक्यूएम को पैनल में शामिल करने और प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(ग्रामीण विकास मंत्रालय का. जा. सं. जी-20011/3/2021-बीएंडए दिनांक: 14/06/21)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया रिपोर्ट के अध्याय 1 के पैरा नंबर 26 देखें)

अध्याय पांच

सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;
03 अगस्त, 2021
12 श्रावण, 1943 (शक)

प्रतापराव जाधव
सभापति,
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2020-2021)

समिति की मंगलवार, 03 अगस्त, 2021 को हुई बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक समिति कमरा सं. 'ब' संसदीय सौध भवन, (पीएचए), नई दिल्ली में 1500 बजे से 1555
बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री प्रतापराव जाधव - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सी.एन. अन्नादूरई
3. श्री राजवीर दिलेर
4. श्री विजय कुमार दुबे
5. श्री सुखबीर सिंग जौनपुरिया
6. डॉ. मोहम्मद जावेद
7. प्रोफ. रीता बहुगुणा जोशी
8. श्री नरेंद्र कुमार
9. श्री जनार्दन मिश्र
10. श्री बी. वाई. राघवेंद्र
11. श्री तालारी रंगैय्या
12. श्रीमती गीताबेन वी. राठवा
13. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
14. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
15. डा. आलोक कुमार सुमन
16. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

17. श्री शमशेर सिंह डुल्लों
18. श्री ईरण्ण कड़ाडी
19. श्री सुजीत कुमार
20. श्री नारणभाई जे राठवा

सचिवालय

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. श्री डी आर शेखर | - | संयुक्त सचिव |
| 2. श्री ए के शाह | - | निदेशक |
| 3. श्रीमती एम्मा सी. बरवा | - | उप सचिव |
| 4. श्री निशांत मेहरा | - | अवर सचिव |

सर्वप्रथम, सभापति ने (एक) ग्रामीण विकास विभाग (दो) XXX XXX XXX XXX (तीन) XXX XXX XXX XXX और (चार) XXX XXX XXX XXX की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधीप्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचारार्थ और इन्हें स्वीकार करने हेतु आयोजित की गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

2. समिति ने प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और इन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया तथा सभापति को इन प्रतिवेदनों को सभा में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

XXX प्रारूप प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

परिशिष्ट-दो

(देखिए प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा सं 4)

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

एक.	सिफारिशों की कुल संख्या	27
दो.	टिप्पणियाँ / सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है क्रम सं.- 1,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21, 22,23,24,25,26,27	
	कुल - प्रतिशत-	22 81.5%
तीन.	टिप्पणियाँ / सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है क्रम सं. - शून्य	
	कुल- प्रतिशत-	00 0.00%
चार.	टिप्पणियाँ / सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं क्रम सं0 2,4,5,17.19	
	कुल- प्रतिशत-	05 18.5%
पांच.	टिप्पणियाँ / सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं क्रम सं0 शून्य	
	कुल- प्रतिशत-	00 0%